अध्याय-V

सहकारी बैंकिंग की गतिविधियां

इस अध्याय में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन का प्रसार करने में सहकारी क्षेत्र के बैंकों की भूमिका के संदर्भ में उनके वित्तीय निष्पादन और वित्तीय मजबूती का विश्लेषण किया गया है। शहरी सहकारी क्षेत्र ने आस्ति गुणवत्ता में सुधार के साथ मार्च 2010 के अंत में समग्र निवल लाभ सूचित किया है। ग्रामीण सहकारी क्षेत्र के समग्र वित्तीय निष्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में कुछ सुधार परिलक्षित हुआ है, हालांकि उनकी आस्ति गुणवत्ता में क्षरण हुआ है। तथापि ग्रामीण सहकारी क्षेत्र में मूलभूत स्तर की संस्थाओं की वित्तीय स्थिति चिंता का विषय रही है क्योंकि इन संस्थाओं ने उच्च अनर्जक आस्ति (एनपीए) अनुपात के साथ हानि सूचित की है। पुनश्च, किसान क्रेडिट कार्ड योजना में सहकारी क्षेत्र की भूमिका में जारी किए गए कार्डों की संख्या और स्वीकृत किए गए कर्ज़ की राशि के संदर्भ में, हाल के वर्षों में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है।

1. परिचय

5.1 सहकारी बैंकों का विस्तृत नेटवर्क, शहरी और ग्रामीण दोनों, बड़ी संख्या में छोटे जमाकर्ताओं/उधारकर्ताओं को औपचारिक वित्तीय नेटवर्क के साथ जोड़कर वित्तीय मध्यस्थता में गंभीरता लाकर वाणिज्य बैंक के नेटवर्क की अनुपूर्ति करता है। तथापि उनके प्रोद्भव, उद्देश्यों और विनियामक पर्यावरण, जिनके अधीन वे काम करते हैं, के कारणों से बैंकों के इन दोनों सेटों की तुलना आपस में नहीं की जा सकती। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रोद्भव सहकारी ऋण समिति अधिनियम, 1904 से जुड़ा है। सहकारी बैंकों का विस्तृत भूभागीय विस्तार, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे उधारकर्ताओं को साहूकारों द्वारा वसूले जानेवाले कुसीदात्मक ब्याज दरों से बचाने के लिए किया गया था। अपनी स्थापना से ही यह वहनीय लागत पर संस्थागत कर्ज़ उपलब्ध कराकर,देश में सामाजिक आर्थिक विकास में विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता आया है। इस प्रकार भारत में सहकारिता आंदोलन ने वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को सुकर बनाया है। तथापि अधिकांश सहकारी कर्ज़ संस्थाओं की दुर्बल वित्तीय स्थिति चिंता का विषय रही है।

5.2 भारत में सहकारी क्षेत्र को दो प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है अर्थात शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) तथा ग्रामीण सहकारी संस्थाएं। जैसाकि नामों से पता चलता है, यूसीबी शहरी क्षेत्रों में कर्ज़ की सुपुर्दगी पर ध्यान केंद्रित करते हैं तथा ग्रामीण सहकारी संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में। भारत में सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की संरचना नीचे चार्ट V.1 में दर्शायी गयी है।

5.3 यूसीबी क्षेत्र में बैंकिंग से संबंधित गतिविधियों का विनियमन रिज़र्व बैंक के क्षेत्र में आता है, जबकि उनके निगमन/पंजीयन और प्रबंधन से जुड़ी गतिविधियों का विनियमन सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार अथवा सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार, जैसा भी मामला हो, द्वारा किया जाता है। शहरी सहकारी क्षेत्र के विनियामक ढांचे के अंतर्गत द्वैध नियंत्रण के मुद्दे से निपटने के लिए केंद्र सरकार और सभी 28 राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन किए जा चुके हैं।शहरी सहकारी बैंकों के लिए कार्यबल (टीएएफसीयूबी) का गठन भी इन सभी राज्यों में किया जा चुका है और बहु-राज्यीय यूसीबी के लिए एक केंद्रीय टीएएफसीयूबी का गठन किया गया है। ग्रामीण सहकारी क्षेत्र (राज्य सहकारी बैंक तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक) एक त्रिकोणीय संरचना के साथ बहुत अधिक जटिल है, जहां सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रार, रिज़र्व बैंक तथा नाबार्ड को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। ग्रामीण सहकारी क्षेत्र के लिए, बहुसंख्यक राज्य सरकारों ने नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन किया है।

5.4 इस संदर्भ में, इस अध्याय में अद्यतन उपलब्ध डेटा का उपयोग करते हुए भारत में शहरी और ग्रामीण सहकारी कर्ज संस्थाओं के परिचालनों और निष्पादन की अद्यतन प्रवृत्तियों का विश्लेषण

चार्ट V.1 : भारत में सहकारी ऋण संस्थाओं की संरचना

(मार्च 2010 के अंत में)

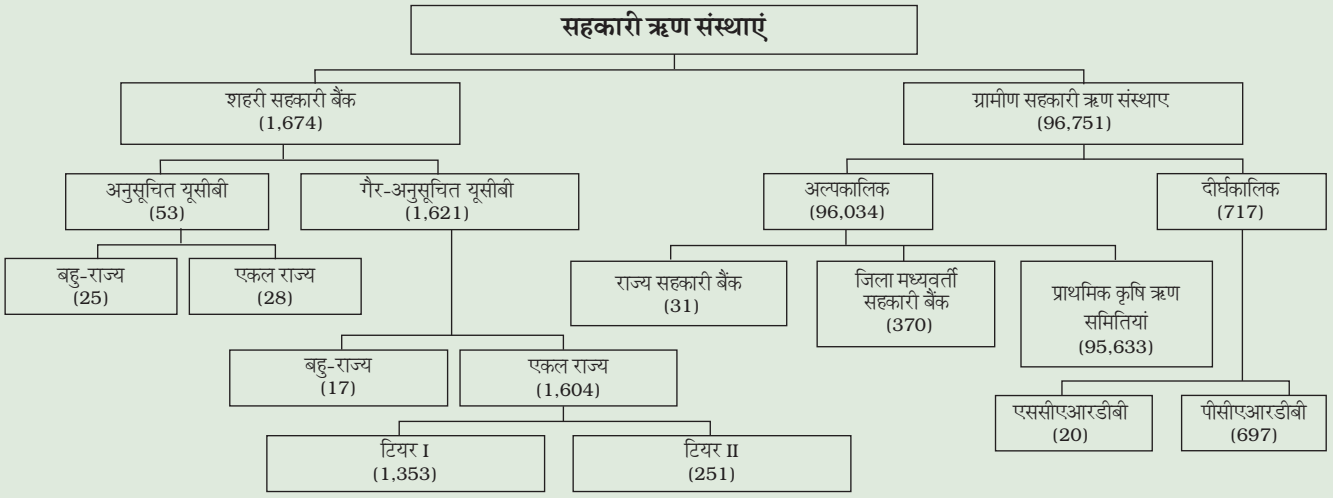

एससीएआरडीबीः राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।

पीएससीएआरडीबीः प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े यूसीबी के लिए मार्च 2010 के अंत में और ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के लिए मार्च 2009 के अंत में संस्थाओं की संख्या दर्शाते हैं।
2. ग्रामीण सहकारी समितियों के लिए बैंकों की संख्या से तात्पर्य रिपोर्टिंग बैंकों से है।

किया गया है। यह अध्याय 5 खंडों में संगठित है। खंड 2 में 2009-10 के दौरान यूसीबी के कारोबार परिचालनों और निष्पादन पर चर्चा की गई है, जबकि खंड 3 में 2008-09 के दौरान ग्रामीण सहकारी कर्ज संस्थाओं के निष्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। खंड 4 में नाबार्ड द्वारा की गई पहलों का उल्लेख किया गया है तथा अंत में खंड 5 में निष्कर्षात्मक टिप्पणियां दी गई हैं।

2. शहरी सहकारी बैंक[1]

यूसीबी की रूपरेखा

5.5 शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में बड़ी संख्या में ऐसी संस्थाएं आती हैं, जो कारोबार के आकार, उसकी प्रकृति और भूभागीय विस्तार के संदर्भ में एक दूसरे से भिन्न हैं और शहरी क्षेत्रों में कर्ज़ की सुपुर्दगी के प्रति संकेंद्रित हैं। क्षेत्र में निरंतर चल रहे समेकन के परिणामस्वरूप पिछले वर्ष के 1,721 से घटकर यूसीबी की संख्या मार्च 2010 के अंत में 1,674 रह गयी थी।[2] यूसीबी क्षेत्र के समेकन की अब तक की प्रगति को बॉक्स V.1 में दर्शाया गया है।

यूसीबी का ग्रेडवार प्रोफाइल[3]

5.6 यूसीबी क्षेत्र में निरंतर जारी समेकन प्रक्रिया के कारण ग्रेड III और ग्रेड IV में आनेवाले बैंकों के प्रतिशत में हाल के वर्षों में कमी की प्रवृत्ति पाई गई। इसके अलावा, ग्रेड III और ग्रेड IV में आनेवाले यूसीबी के पास मौजूद जमाराशियों तथा अग्रिमों की पूर्ण राशि में पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2010 के अंत में गिरावट परिलक्षित हुई। तदनुसार ग्रेड I और ग्रेड II में आनेवाले बैंकों का प्रतिशत और क्षेत्र की कुल जमाराशियों और अग्रिम राशियों में

[1] इस खंड में प्रस्तुत विश्लेषण रिज़र्व बैंक के शहरी बैंक विभाग द्वारा यूसीबी के पर्यवेक्षी विवरणी से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है।

[2] चूंकि वर्ष-दर-वर्ष यूसीबी की संख्या में परिवर्तन होता रहता है, यूसीबी के सभी संकेतकों संबंधी समय शृंखलाएं पिछले वर्षों के साथ पूर्णतः तुलनीय नहीं है।

[3] विनियामक प्रयोजनों के लिए पिछले वर्षों के सीआरएआर, निवल एनपीए तथा लाभप्रदता तथा पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सीआरआर/एसएलआर के अनुपालन के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों को ग्रेड I,II,III तथा IV में श्रेणीबद्ध किया जाता है। जिन बैंकों के लिए पर्यवेक्षी चिंता का कोई कारण नहीं है उन्हें ग्रेड I बैंक में रखा गया है। ग्रेड II में वर्गीकृत बैंक भी अपेक्षाकृत रू प से अच्छी हालत में होते हैं जबकि ग्रेड III और ग्रेड IV में आनेवाले बैंक वित्तीय रू प से कमजोर बैंक होते हैं। 31 मार्च 2009 के निरीक्षण चक्र से संशोधित ज्कैमेलट रेटिंग मॉडल यूसीबी के लिए लागू किया गया है, परंतु सभी यूसीबी के लिए रेटिंग अभी पूरी की जानी है।

बॉक्स V.1: यूसीबी क्षेत्र का समेकन और उनका सुदृढ़ीकरण

बड़ी संख्या में शहरी सहकारी बैंकों की कमजोर वित्तीय स्थिति दशकों से यूसीबी क्षेत्र में चिंता का प्रमुख कारण रही है। इस क्षेत्र में दुहरे विनियामक नियंत्रण ने भी कमजोर वित्तीय स्थिति में बड़ा योगदान किया है। इस मसले को हल करने के लिए, मार्च 2005 में रिज़र्व बैंक ने एक विज़न दस्तावेज तैयार किया और इस पर आधारित एक मध्यावधि ढांचा (एमटीएफ), जिसमें शहरी सहकारी क्षेत्र के दो प्रमुख विनियामक प्राधिकारियों अर्थात रिज़र्व बैंक और संबंधित राज्य सरकारों (बहुराज्यीय यूसीबी के लिए केंद्र सरकार) के बीच विद्यमान विधिक ढांचे में प्रत्येक राज्य में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करके विनियामकीय समन्वय की व्यवस्था की गई है ।

अब तक केंद्र सरकार और सभी 28 राज्यों, जहां यूसीबी की मौजूदगी है, के बीच एमओयू किए गए हैं, जो संपूर्ण यूसीबी क्षेत्र को अपनी व्याप्ति में लेते हैं। इन सभी राज्यों में शहरी सहकारी बैंकों के लिए कार्यबलों (टीएएफसीयूबी) का गठन किया गया है तथा बहु-राज्यीय यूसीबी के लिए केंद्रीय टीएएफसीयूबी का गठन किया गया है। टीएएफसीयूबी की संस्तुतियों के आधार पर की गई पर्यवेक्षी कार्रवाइयों में सम्मिलित हैं- गैर-अर्थक्षम यूसीबी के लाइसेंसों को रद्द करना अथवा उनके लाइसेंस के आवेदनों को अस्वीकृत करना, दोषी निदेशक मंडलों का अधिक्रमण करना, और बैंकों पर परिचालनगत प्रतिबंध/ निदेश लगाना/ आशोधित करना। टीएएफसीयूबी में सहमति के आधार पर जो अन्य मुख्य नीतिगत उपाय किए गए, वे हैं - 'उधारदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता' पर दिशानिर्देश तथा यूसीबी के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए 'उचित और उपयुक्त मानदंड' पर दिशानिर्देश जारी करना। इसके अलावा, टीएएफसीयूबी संभावित अर्थक्षम यूसीबी की पहचान करता है और उनके पुनर्जीवन के लिए उपाय सुझाता है और साथ ही जो बैंक अर्थक्षम नहीं है उनके लिए अविघटनात्मक निकासी संबंधी रणनीतियां तैयार करता है। गैर अर्थक्षम बैंकों की निकासी का मार्ग है - मजबूत बैंकों के साथ उनका विलयन/ समामेलन, सोसाइटी के रूप में उनका संपरिवर्तन अथवा अंतिम उपाय के रूप में उनका परिसमापन।

यूसीबी क्षेत्र में कमजोर/गैर अर्थक्षम संस्थाओं के समेकन, तथा हानिरहित और व्यवस्थित समाधान को सुकर बनाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2005 में यूसीबी के विलयन/समामेलन के लिए दिशानिर्देश तैयार किए। इन दिशानिर्देशों के अनुसार अभिग्रहणकर्ता बैंक को स्वयं ही अथवा सीधे राज्य सरकार से वित्तीय सहायता लेकर अभिगृहीत बैंक की जमाराशियों की सुरक्षा करनी होगी। क्षेत्र में विलयन/समेकन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने तथा 31 मार्च 2007 को ऋणात्मक निवल मालियत वाले यूसीबी के रिक्थ (लीगैसी) संबंधी मामलों के समाधान के लिए, रिज़र्व बैंक ने यूसीबी के विलयन/समामेलन के लिए जनवरी 2009 में अतिरिक्त दिशानिदेश जारी किए, जिनमें डीआइसीजीसी अधिनियम,1961 की धारा 16(2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा विनिर्दिष्ट विधि के अनुसार डीआइसीजीसी समर्थन, अभिग्रहणकर्ता बैंक द्वारा वित्तीय अंशदान तथा बड़े जमाकर्ताओं द्वारा उनकी जमाराशियों के एक भाग को त्यागने हेतु प्रावधान है।

रिज़र्व बैंक द्वारा विलयन के लिए जारी किए गए कुल 103 एनओसी में से 91कमजोर बैंकों के संबंध में थे। इन 91 में से 71 विलयनों को अब तक संबंधित राज्यों के आरसीएफ द्वारा अधिसूचित किया जा चुका है (सारणी)।

ऋणात्मक निवल मालियत वाले बैंकों के रिक्थ (लीगैसी) वाले मामलों में कमज़ोर यूसीबी के समाधान के लिए अतिरिक्त विकल्प के रूप में ,जहाँ यूसीबी क्षेत्र से विलयन प्रस्ताव नहीं आ रहे हैं, यूसीबी की आस्ति और देयताएं (शाखाओं सहित) डीआइसीजीसी के समर्थन से वाणिज्य बैंकों को अंतरित करने की योजना की स्वीकृति के लिए रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2010 में दिशानिर्देश जारी किए। ये दिशानिर्देश सभी जमाकर्ताओं को 100 प्रतिशत सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं और डीआइसीजीसी की सहायता डीआइसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 16(2) के अंतर्गत प्रावधानित राशि तक सीमित है। यूसीबी, जिनकी निवल मालियत 31 मार्च 2007 को अथवा उससे पूर्व ऋणात्मक थी और जिनकी निवल मालियत अंतरण की तारीख तक ऋणात्मक रहती आई है, को योजना के अंतर्गत पात्र माना जाएगा।

प्रोत्साहन के रूप में रिज़र्व बैंक अंतरिती (वाणिज्य) बैंक को शाखाओं का अभिग्रहण करने करने तथा रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति से अंतरणकर्ता बैंक (यूसीबी) की हानि उठानेवाली शाखाओं को बंद करने की अनुमति देगा। अंतरणकर्ता बैंक की शाखाओं को अन्यत्र ले जाने की अनुमति रिज़र्व बैंक द्वारा दी जाएगी बशर्ते अंतरणकर्ता/अंतरिती बैंक की विद्यमान/अन्यत्र ले जाई गई शाखाओं के माध्यम से ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं।

सारणी : मजबूत बैंकों द्वारा कमजोर बैंकों के विलयन/अभिग्रहण में वर्षवार हुई प्रगति (जारी एनओसी)

(जून 30, 2010 को)

क्रम सं.	राज्यों के नाम	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	कुल
1	महाराष्ट्र	-	5	6	11	6	10	-	**38**
2	गुजरात	1	5	5	6	3	4	-	**24**
3	आंध्र प्रदेश	-	2	1	3	1	3	-	**10**
4	कर्नाटक	-	-	3	2	1	1	-	**7**
5	गोवा	-	1	-	-	-	-	-	**1**
6	राजस्थान	-	-	-	-	-	-	-	**-**
7	दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	**-**
8	पंजाब	-	-	1	-	-	-	-	**1**
9	मध्यप्रदेश	-	-	1	2	1	2	-	**6**
10	उत्तराखंड	-	-	-	2	-	-	-	**2**
11	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	1	-	-	**1**
12	बहु-राज्य	-	1	-	-	-	-	-	**1**
कुल (1 से 12)		**1**	**14**	**17**	**26**	**13**	**20**	**-**	**91**

'-': शून्य

उनकी हिस्सेदारी में हाल के वर्षों में बढ़ने की प्रवृत्ति पायी गयी। इससे पता चलता है कि बैंकिंग कारोबार के संकेंद्रण में बदलाव वित्तीय रूप से मजबूत यूसीबी के पक्ष में रहा है। हरफिनडल-हिर्स्चमैन सूचकांक[4] का सामान्यीकृत मूल्य पिछले वर्ष के 0.30 से बढ़कर मार्च 2010 के अंत में 0.38 हो गया, जो क्षेत्र में ग्रेड I बैंकों के बैंकिंग कारोबार के संकेंद्रण में वृद्धि को दर्शाता है (सारणी V.1)।

यूसीबी के आस्तिवार और कारोबारवार प्रोफाइल का आकार

5.7 यूसीबी क्षेत्र में संकेंद्रण की सीमा को और अच्छी तरह समझने के लिए, इस खंड में यूसीबी के आस्ति आकार के अनुसार और उनके जमा एवं अग्रिमवार प्रोफाइल के आकार के अनुसार विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। विश्लेषण से पता चलता है कि बैंकों की संख्या में वृद्धि हुई है और साथ ही बैंकों की बड़े आस्ति आकार की श्रेणी तथा बड़े कारोबार आकार की श्रेणी में बैंकिंग कारोबार की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है।

5.8 यूसीबी के आस्तिवार वितरण के आकार से पता चलता है कि पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2010 के अंत में '100 करोड़ रुपए से कम आस्ति आकार' की श्रेणी में बैंकों की संख्या में कमी आई है, जबकि '100 करोड़ रुपए से अधिक' श्रेणी के बैंकों की

चार्ट V.2 : शहरी सहकारी बैंकों का आस्ति आकार वार वितरण

(मार्च 2010 के अंत में) (राशि करोड़ रुपए में)

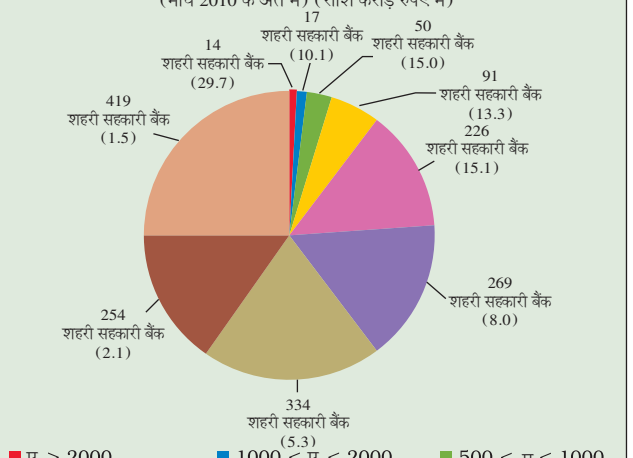

टिप्पणी : 1. 'ए' आस्तियों के लिए
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े आस्तियों का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

संख्या में तदनुरूपी वृद्धि हुई है। यूसीबी क्षेत्र की कुल आस्तियों में पहले वाली श्रेणी की हिस्सेदारी में भी पिछले वर्ष की तुलना में कमी दिखाई दी। परिणामस्वरूप मार्च 2010 के अंत में लगभग तीन-चौथाई यूसीबी की आस्तियां 100 करोड़ रुपए से कम थीं, तथापि इस क्षेत्र की कुल आस्तियों में उनकी हिस्सेदारी संपूर्ण क्षेत्र की कुल आस्तियों के लगभग छठवें हिस्से तक थी (चार्ट V.2)।

सारणी V.1:शहरी सहकारी बैंकों की जमाराशियों और अग्रिम राशियों का ग्रेडवार वितरण
(मार्च 2010 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

ग्रेड	यूसीबी की संख्या		कुल का प्रतिशत रूप में यूसीबी		जमाराशियां		कुल के प्रतिशत रूप में जमाराशियां		अग्रिमों की राशि		कुल के प्रतिशत रूप में अग्रिम राशियां	
वर्ष	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	845	879	49.1	52.5	1,02,330	1,28,770	65.1	70.4	61,761	77,265	64.2	70.0
II	484	465	28.1	27.8	30,626	34,756	19.5	19.0	18,920	21,245	19.7	19.3
III	219	179	12.7	10.7	7,954	7,494	5.1	4.1	5,405	4,731	5.6	4.3
IV	173	151	10.1	9.0	16,131	11,842	10.3	6.5	10,148	7,062	10.5	6.4
कुल	**1,721**	**1,674**	**100.0**	**100.0**	**1,57,041**	**1,82,862**	**100.0**	**100.0**	**96,234**	**1,10,303**	**100.0**	**100.0**
ज्ञापन मदें												
I+II	1,329	1,344	77.2	80.3	1,32,956	1,63,526	84.6	89.4	80,681	98,510	83.9	89.3
III+IV	392	330	22.8	19.7	24,085	19,336	15.4	10.6	15,553	11,793	16.1	10.7

टिप्पणी : 2010 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।

[4] सामान्यीकृत हरफिनडल-हिर्सचमैन इंडेक्स = [H – (1/N)] / [1 – (1/N)], जहां H हरफिनडल-हिर्सचमैन इंडेक्स है तथा N बैंकों /फर्मों/ समूहों, जैसा भी मामला हो, की संख्या है
$H = \sum_{i=1}^{n} s_i^2$, S_i i$^{वां}$ बैंक का हिस्सा है।

5.9 यूसीबी के बैंकिंग कारोबारवार वर्गीकरण के आकार से पता चलता है कि मार्च 2010 के अंत में कुल यूसीबी के एक बटा पांच से कम के पास जमाराशियों के तीन बटा चार से अधिक हिस्सा था। इसी प्रकार मार्च 2010 के अंत में कुल यूसीबी के एक बटा दस से थोड़े अधिक के पास कुल अग्रिम राशियों का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा था। पुनश्च, मार्च 2010 के अंत में कुल जमाराशियों और अग्रिम राशियों में 100 करोड़ रुपए से कम जमाराशियों अथवा अग्रिम राशियों वाले यूसीबी के हिस्से में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई (सारणी V.2)।

यूसीबी का टियरवार और अनुसूचित हैसियतवार प्रोफाइल

5.10 यूसीबी को अनुसूचित तथा गैरअनुसूचित और साथ ही टियर I[5] और टियर II श्रेणियों में भी वर्गीकृत किया जाता है। बैंकों की संख्या के संदर्भ में, इस क्षेत्र में गैरअनुसूचित टियर I बैंकों का आधिपत्य था तथापि बैंकिंग कारोबार के आकार के संदर्भ में इस क्षेत्र में अनुसूचित टियर II बैंकों का आधिपत्य था। प्रति यूसीबी बैंकिंग कारोबार अनुसूचित टियर II बैंकों में सर्वोच्च था जिसके बाद गैरअनुसूचित टियर II और गैरअनुसूचित टियर I बैंक आते थे। टियर II बैंकों, अनुसूचित तथा गैरअनुसूचित दोनों ही बैंकों को मिलाकर, की हिस्सेदारी मार्च 2010 के अंत में इस क्षेत्र के कुल बैंकिंग कारोबार का लगभग 80 प्रतिशत थी (सारणी V.3)।

5.11 पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2010 के अंत गैर-अनुसूचित यूसीबी की संख्या में कमी आई जबकि इसी अवधि के दौरान अनुसूचित यूसीबी की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तथापि, अनुसूचित क्षेत्र में टियर II यूसीबी की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2010 के अंत में वृद्धि हुई। अत: यूसीबी की कुल संख्या में कमी

सारणी V.2: जमाराशियों और अग्रिम राशियों के आकार के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों का वितरण

(मार्च 2010 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

जमाराशि आधार	जमाराशियों के आकार के अनुसार यूसीबी का वितरण				अग्रिम राशियां आधार	अग्रिम राशियों के आकार के अनुसार यूसीबी का वितरण			
	यूसीबी की संख्या		जमाराशियां			यूसीबी की संख्या		जमाराशियां	
	संख्या	कुल में प्रतिशत हिस्सा	राशि	कुल में प्रतिशत हिस्सा		संख्या	कुल में प्रतिशत हिस्सा	राशि	कुल में प्रतिशत हिस्सा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ज = 1000	25	1.5	66,401	36.3	अग्रि = 1000	13	0.8	31,875	28.9
500 ≤ ज < 1000	37	2.2	24,825	13.6	500 ≤ अग्रि < 1000	18	1.1	12,768	11.6
250 ≤ ज < 500	67	4.0	23,178	12.7	250 ≤ अग्रि < 500	44	2.6	15,281	13.9
100 ≤ ज < 250	196	11.7	31,108	17.0	100 ≤ अग्रि < 250	136	8.1	20,501	18.6
50 ≤ ज < 100	244	14.6	17,023	9.3	50 ≤ अग्रि < 100	149	8.9	10,439	9.5
25 ≤ ज < 50	301	18.0	11,037	6.0	25 ≤ अग्रि < 50	251	15.0	9,092	8.2
10 ≤ ज < 25	435	26.0	7,247	4.0	10 ≤ अग्रि < 25	446	26.6	7,264	6.6
ज < 10	369	22.0	2,043	1.1	अग्रि < 10	617	36.9	3,083	2.8
कुल	**1,674**	**100.0**	**1,82,862**	**100.0**	**कुल**	**1,674**	**100.0**	**1,10,303**	**100.0**
ज्ञापन मदें									
100 ≤ ज	325	19.4	1,45,512	79.6	100 ≤ अग्रि	211	12.6	80,425	72.9
100 > ज	1,349	80.6	37,350	20.4	100 > अग्रि	1,463	87.4	29,878	27.1

ज: जमाराशियाँ, अग्रि: अग्रिम

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

[5] टियर I बैंक: i) एक ही जिले में कार्यरत बैंक जिसकी जमाराशि 100 करोड़ रु पए से कम है, ii) 100 करोड़ रु पए से कम जमाराशि वाले उन बैंकों को टियर I के रू प में माना जाएगा यदि उनकी शाखाएं पास-पास के जिलों में हों तथा एक जिले की शाखाओं की जमाराशि तथा अग्रिम अलग से बैंक की कुल जमाराशियों तथा अग्रिमों का कम-से-कम 95 प्रतिशत हो, तथा iii) 100 करोड़ रु पए से कम जमाराशि वाले उन बैंकों को टियर I के रू प में माना जाएगा जिनकी शाखाएं मुलत: एक ही जिले में थीं परंतु जिले के पुनर्गठन के कारण वे कई जिलों में आ गयीं।

टियर II बैंक: उन सभी बैंकों को टियर II के रू प में माना जाएगा जो टियर I में शामिल नहीं है।

सारणी V.3: शहरी सहकारी बैंकों का प्रोफाइल
(मार्च 2010 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

	यूसीबी की संख्या			जमाराशियां			उधार और अग्रिम			आस्तियां		
श्रेणी	**टियर I**	**टियर II**	**कुल**	**टियर I**	**टियर II**	**कुल**	**टियर I**	**टियर II**	**कुल**	**टियर I**	**टियर II**	**कुल**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अनुसूचित	-	53	53	-	80,207	80,207	-	48,951	48,951	-	1,04,228	1,04,228
गैर अनुसूचित	1,353	268	1,621	37,350	65,305	1,02,655	22,630	38,722	61,352	50,674	81,156	1,31,830
कुल	**1,353**	**321**	**1,674**	**37,350**	**1,45,512**	**1,82,862**	**22,630**	**87,673**	**1,10,303**	**50,674**	**1,85,384**	**2,36,058**
सभी यूसीबी के प्रतिशत रूप में												
अनुसूचित	-	3.2	3.2	-	43.9	43.9	-	44.4	44.4	-	44.2	44.2
गैर अनुसूचित	80.8	16.0	96.8	20.4	35.7	56.1	20.5	35.1	55.6	21.5	34.4	55.8
कुल	**80.8**	**19.2**	**100.0**	**20.4**	**79.6**	**100.0**	**20.5**	**79.5**	**100.0**	**21.5**	**78.5**	**100.0**

'-': शून्य
टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

ग्रेड III और ग्रेड IV में अनुसूचित टियर I में आई कमी के कारण थी। चूंकि इन बैंकों को वित्तीय रूप से कमज़ोर माना जाता है, अत: इन बैंकों की संख्या में कमी का निहितार्थ है *अन्य बातें अपरिवर्तित रहते हुए*, क्षेत्र की वित्तीय मज़बूती में समग्र सुधार। इसका कारण रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू की गई समेकन की प्रक्रिया है, जिसका उल्लेख बॉक्स V.1 में किया गया है ।

यूसीबी के तुलनपत्र का परिचालन

5.12 पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2010 के अंत में यूसीबी के तुलन पत्रों में उच्च दर से विस्तार हुआ, जिसके लिए देयता पक्ष की जमाराशियां और आस्ति पक्ष में निवेश तथा उधार एवं अग्रिम का संवितरण जिम्मेदार थे। यद्यपि मार्च 2010 के अंत में पूंजी की वृद्धि में तेजी आई तथापि इसी अवधि में आरक्षित निधियों में भी लागभग 20 प्रतिशत उच्च दर पर, हालांकि अवमंदित गति से, वृद्धि हुई। यूसीबी क्षेत्र की प्रमुख देयता जमाराशियां थीं, जिसका निहितार्थ है कि यह क्षेत्र संसाधनों के लिए जमाराशियों पर बुरी तरह निर्भर है। आस्ति पक्ष में, एक ओर उधार और अग्रिम कुल आस्तियों का लगभग आधा है, वहीं निवेश में उच्चतर दर से वृद्धि हुई तथा वे कुल आस्तियों के एक-तिहाई से मामूली अधिक हैं (सारणी V.4)।

5.13 पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2010 के अंत में, अनुसूचित यूसीबी के तुलनपत्रों में गैरअनुसूचित यूसीबी के तुलनपत्रों की तुलना में उच्चतर विस्तार परिलक्षित हुआ। अनुसूचित और गैरअनुसूचित दोनों खण्डों में तुलनपत्रों में हुए विस्तार में देयता पक्ष की जमाराशियों का अंशदान था। तथापि आस्ति पक्ष में, जहां अनुसूचित यूसीबी ने अपनी निधियों का उपयोग उधार और अग्रिमों के संवितरण एवं निवेश के लिए किया, वहीं गैरअनुसूचित यूसीबी ने अपनी निधियों का उपयोग मूल रूप से निवेश के लिए किया।

शहरी सहकारी बैंकों का निवेश

5.14 यूसीबी के निवेश प्रोफाइल से पता चलता है कि यूसीबी का अधिकांश निवेश एसएलआर लिखतों में हुआ था, जो मार्च 2010 के अंत में यूसीबी के कुल निवेशों के 80 प्रतिशत से अधिक था। केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश मार्च 2010 के अंत में कुल एसएलआर निवेशों का लगभग आधा था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यूसीबी का दूसरा प्रमुख निवेश डीसीसीबी की सावधि जमा में था। राज्य सहकारी बैंकों की मीयादी जमाराशियों में यूसीबी ने काफी राशि जमा की थी। यह शहरी और ग्रामीण सहकारी क्षेत्रों की अंतर-संबद्धता को उजागर करता है (सारणी V.5)।

5.15 तथापि, पिछले साल की तुलना में मार्च 2010 के अंत में अनुसूचित यूसीबी का गैर एसएलआर निवेश गैरअनुसूचित यूसीबी के मुकाबले उच्च दर से बढ़ा । इसके विपरीत, ''गैर-अनुसूचित'' यूसीबी का एसएलआर निवेश, अनुसूचित यूसीबी की तुलना में उच्चतर दर से बढ़ा (सारणी V.6)।

सारणी V.4: शहरी सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	अनुसूचित यूसीबी		गैर-अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
देयताएं						
1. पूंजी	1,417	1,672	3,720	3,975	5,137	5,647
	(1.6)	(1.6)	(3.3)	(3.0)	(2.6)	(2.4)
2. आरक्षित निधियां	9,286	10,576	11,706	14,520	20,992	25,096
	(10.7)	(10.1)	(10.3)	(11.0)	(10.4)	(10.6)
3. जमाराशियां	66,713	80,207	90,329	1,02,655	1,57,042	1,82,862
	(76.9)	(77.0)	(79.1)	(77.9)	(78.2)	(77.5)
4. उधार राशियाँ	1,141	1,093	566	454	1,707	1,547
	(1.3)	(1.0)	(0.5)	(0.3)	(0.8)	(0.7)
5. अन्य देयताएं	8,205	10,680	7,861	10,225	16,066	20,905
	(9.5)	(10.2)	(6.9)	(7.8)	(8.0)	(8.9)
आस्तियां						
1. हाथ में नकदी	543	586	1,529	1,632	2,072	2,218
	(0.6)	(0.6)	(1.3)	(1.2)	(1.0)	(0.9)
2. बैंकों में शेष	5,953	6,278	10,267	6,287	16,220	12,565
	(6.9)	(6.0)	(9.0)	(4.8)	(8.1)	(5.3)
3. मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	1,203	406	727	1,060	1,930	1,466
	(1.4)	(0.4)	(0.6)	(0.8)	(1.0)	(0.6)
4. निवेश	26,629	33,427	38,475	51,920	65,104	85,347
	(30.7)	(32.1)	(33.7)	(39.4)	(32.4)	(36.2)
5. ऋण और अग्रिम	40,504	48,951	55,730	61,353	96,234	1,10,304
	(46.7)	(47.0)	(48.8)	(46.5)	(47.9)	(46.7)
6. अन्य आस्तियां	11,930	14,580	7,454	9,577	19,384	24,157
	(13.8)	(14.0)	(6.5)	(7.3)	(9.6)	(10.2)
कुल देयताएं /आस्तियां	**86,762**	**1,04,228**	**1,14,182**	**1,31,829**	**2,00,944**	**2,36,057**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**

टिप्पणी : 1. मार्च 2010 के अंत के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।
2. कोष्ठक के आंकड़े कुल देयताएं / आस्ति का प्रतिशत हैं।

यूसीबी का वित्तीय निष्पादन

5.16 क्षेत्र में किए गए उपायों के फलस्वरूप, यूसीबी के वित्तीय निष्पादन में पिछले एक दशक की तुलना में महत्वपूर्ण सुधार आया है। अनुसूचित यूसीबी क्षेत्र, जो पहले हानि में था, 2003-04 से समग्र रूप से निवल लाभ की रिपोर्टिंग करने लगा। तदनुसार पिछले एक दशक के दौरान अनुसूचित यूसीबी क्षेत्र की आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए)में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी जा रही है। तथापि, वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल के विकीर्णन प्रभाव के कारण 2008-09 और 2009-10 में निवल लाभों में कमी आई। परिणामस्वरूप क्षेत्र में 2007-08 की तुलना में पिछले दो वर्षों में आरओए में कमी रिपोर्ट की है। आरओए में गिरावट मुख्य रूप से पिछले दो वर्षों के दौरान निवल ब्याज मार्जिन (एनआइएम) और गैर ब्याज मार्जिन (गैर-आइएम) में गिरावट के कारण थी। पिछले एक दशक के लिए अनुसूचित यूसीबी क्षेत्र की आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) का विश्लेषण बॉक्स V.2 में दिया गया है।[6]

[6] बॉक्स V.2 में किया गया विश्लेषण केवल अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित है क्योंकि गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के समय श्रृंखला आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

सारणी V.5: शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निवेश
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		घटबढ़ प्रतिशत
	2009	2010अ	2010अ
1	2	3	4
कुल निवेश (क+ख)	**65,104**	**85,347**	31.1
	(100.0)	**(100.0)**	
क.एसएलआर निवेश (i से vi)	**54,871**	**69,338**	26.4
	(84.3)	**(81.2)**	
i) केंद्र सरकार प्रतिभूतियां	34,187	40,656	18.9
	(52.5)	(47.6)	
ii) राज्य सरकार प्रतिभूतियां	4,342	6,833	57.4
	(6.7)	(8.0)	
iii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	410	393	-4.1
	(0.6)	(0.5)	
iv) राज्य सहकारी बैंकों में सावधि जमा	5,281	6,189	17.2
	(8.1)	(7.3)	
v) डीसीसीबी में सावधि जमा	9,116	13,850	51.9
	(14.0)	(16.2)	
vi) अन्य, यदि कोई हो	1,535	1,417	-7.7
	(2.4)	(1.7)	
ख. गैर एसएलआर निवेश	**10,233**	**16,009**	56.4
	(15.7)	**(18.8)**	

अ: अनंतिम.

टिप्पणी: 1. गैर एसएलआर निवेशों में ऋण और मुद्रा बाजार म्युच्युअल फंड के वाणिज्य पत्र, डिबेंचर्स, बांड और यूनिटें सम्मिलित हैं।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत हैं।

5.17 यूसीबी क्षेत्र के लाभ और हानि लेखा की सभी प्रमुख मदों में पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2010 के अंत में कमी आई। तथापि यह कमी व्यय पक्ष की तुलना में आय पक्ष में अधिक थी, जिसके चलते पिछले वर्ष की तुलना में समग्र परिचालन लाभों में कमी आ गई। यद्यपि प्रावधानों और आकस्मिकताओं में कमी थी, तथापि यह कमी परिचालन लाभों में आई गिरावट को पूरा न कर सकी। अतः पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2010 के अंत में निवल लाभों में गिरावट परिलक्षित हुई। तदनुसार, मार्च 2009 के अंत की तुलना में मार्च 2010 के अंत में आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) तथा निवल ब्याज मार्जिन (एनआइएम) में गिरावट हुई। गैर ब्याज मार्जिन पिछले वर्ष के अनुरूप मार्च 2010 के अंत में ऋणात्मक बना रहा। गैर ब्याज आय में पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2010 के अंत में समग्र रूप में गिरावट दर्ज हुई।

5.18 अनुसूचित यूसीबी की ब्याज आय पिछले साल की तुलना में मार्च 2010 के अंत में गैर-अनुसूचित यूसीबी की ब्याज आय की तुलना में उच्च दर से बढ़ी। इसके बावजूद गैर-अनुसूचित यूसीबी उक्त अवधि के दौरान अपने परिचालनात्मक व्ययों, विशेष रूप से स्टाफ व्यय, में कमी के कारण उच्च लाभ दर्ज करने में सफल रहे। पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2010 के अंत में अनुसूचित और गैर-अनुसूचित दोनों ही क्षेत्रों में ब्याजेतर आय में कमी दर्ज हुई (सारणी V.7)।

5.19 तदनुसार, जहाँ एक ओर अनुसूचित यूसीबी क्षेत्र के आरओए में कमी दर्ज हुई, वहीं गैर-अनुसूचित क्षेत्र के आरओए में वृद्धि हुई है। अनुसूचित यूसीबी क्षेत्र के बैंकवार आरओए से पता चलता है कि कुछ बैंक भारी हानि उठा रहे थे, जबकि कुछ मार्जिन पर हैं, अर्थात उनकी स्थिति न तो लाभ की है और न ही हानि की, तथा अधिकांश बैंक 0 से

सारणी V.6: अनुसूचित और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के निवेश का संयोजन
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	अनुसूचित यूसीबी		गैर-अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी	
	2008-09	2009-10अ	2008-09	2009-10अ	2008-09	2009-10अ
1	2	3	4	5	6	7
एसएलआर निवेश	31,587	41,293	23,284	28,045	54,871	69,338
	(82.1)	(79.5)	(87.4)	(83.9)	(84.3)	(81.2)
गैर एसएलआर निवेश	6,888	10,627	3,345	5,382	10,233	16,009
	(17.9)	(20.5)	(12.6)	(16.1)	(15.7)	(18.8)
कुल निवेश	**38,475**	**51,920**	**26,629**	**33,427**	**65,104**	**85,347**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**

अ: अनंतिम

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत हैं।

बॉक्स V.2: संभावित आरओए की तुलना में वास्तविक आरओए - अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का विश्लेषण

अनुसूचित यूसीबी की आस्तियों पर प्रतिलाभ में पिछले एक दशक में बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई दी। आरओए जो वर्ष 2002-03 तक नकारात्मक था, वर्ष 2003-04 में सकारात्मक हो गया और इसके बाद सकारात्मक बना रहा। तथापि, पिछले दो वर्ष में आरओए में गिरावट की प्रवृत्ति रही।

पिछले एक दशक में वास्तविक आरओए में उसकी संभावित क्षमता से हुए विचलन को समझने का प्रयास किया गया है। संभावित क्षमता आरओए की गणना के लिए पिछले एक दशक के दौरान सर्वोच्च निवल ब्याज मार्जिन (एनआइएम) तथा गैर ब्याज मार्जिन (नॉन आइएम) तथा प्राप्त न्यूनतम प्रावधानीकरण अपेक्षाओं को हिसाब में लिया जाता है (सारणी)।

चार्ट से पता चलता है कि वास्तविक आरओए दशक के दौरान अपने संभावित से विचलित हुआ है। विश्लेषण से पता चलता है कि वास्तविक आरओए का विचलन अपने संभावित से मुख्यतया दशक के प्रथम अर्धांश में उच्च प्रावधानीकरण की अपेक्षाओं के कारण हुआ था। तथापि बाद के वर्षों में क्षेत्र में आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार हुआ और इस प्रकार प्रावधानीकरण अपेक्षाओं में कमी आई। इस प्रकार, दशक के उत्तर अर्धांश में आरओए अपने संभावित स्तर को प्राप्त नहीं कर सका जो मुख्यतया न्यून एनआइएम और गैर आइएम के कारण था। तथापि, न्यून गैर आइएम के कारण आरओए का अप्राप्त भाग

चार्ट : अनुसूचित यूसीबी के अप्राप्त आरओए का वियोजन

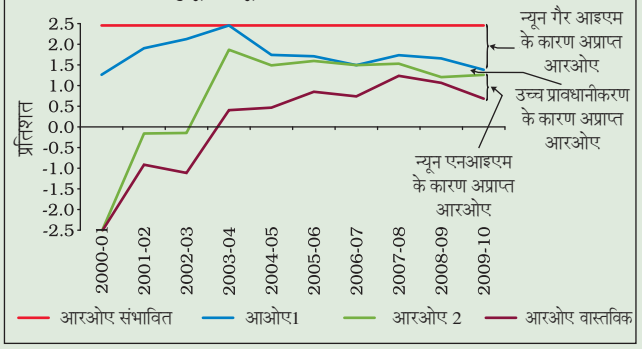

दशक के उत्तर अर्धांश में न्यून एनआइएम के कारण होने वाले उसके अप्राप्त भाग से उच्च था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि नकारात्मक और गिरावटोन्मुख गैर आइएम ही वह मुख्य कारक है जिसका गिरावटोन्मुखी दबाव अनुसूचित यूसीबी क्षेत्र के वास्तविक आरओए पर रहा है, तथा उसके बाद एनआइएम का स्थान है। पिछले दो वर्षों के दौरान यूसीबी के एनआइएम और गैर आइएम में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई।

सारणी : अनुसूचित यूसीबी की आस्तियों पर प्रतिलाभ

मद	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1. एनआइएम	**3.1**	2.3	2.1	1.6	2.0	2.3	2.3	2.8	2.9	2.5
2. गैर आइएम	-1.4	-0.7	-0.5	**-0.2**	-0.9	-0.9	-1.1	-0.9	-1.0	-1.2
3. प्राव/आस्तियां	4.2	2.5	2.7	1.0	0.7	0.5	**0.4**	0.6	0.9	0.6
4. आरओए $_{\text{संभावित}}$	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
5. आरओए 1	1.3	1.9	2.1	2.5	1.7	1.7	1.5	1.7	1.7	1.4
6. आरओए 2	-2.5	-0.2	-0.1	1.9	1.5	1.6	1.5	1.5	1.2	1.3
7. आरओए $_{\text{वास्तविक}}$	-2.5	-0.9	-1.1	0.4	0.5	0.9	0.7	1.2	1.1	0.7

आरओए $_{\text{संभावित}}$: सर्वोच्च एनआइएम और गैर आइएम, तथा न्यूनतम प्रावधानीकरण को उपयोग में लाते हुए गणना की गई।
आरओए 1 : सर्वोच्च एनआइएम और न्यूनतम प्रावधानीकरण तथा वास्तविक गैर आइएम को उपयोग में लाते हुए गणना की गई।
आरओए 2 : सर्वोच्च एनआइएम और वास्तविक प्रावधानीकरण तथा गैर आइएम को उपयोग में लाते हुए गणना की गई।
टिप्पणी : 1) बोल्ड में दिए गए आंकड़े अधिकतम एनआइएम और गैर आइएम, तथा पिछले एक दशक के दौरान अनुसूचित यूसीबी द्वारा आस्तियों के लिए किए गए न्यूनतम प्रावधानीकरण हैं।
2) 2009-10 के आंकड़े अनंतिम हैं ।

1 प्रतिशत बैंड के भीतर हैं। हानि देनेवाले बैंकों की उपस्थिति चिंता का विषय है, विशेष रूप से अनुसूचित यूसीबी क्षेत्र में, क्योंकि अनुसूचित यूसीबी क्षेत्र के बैंक बृहदाकार बैंक हैं जो बड़ा बैंकिंग कारोबार करते हैं (चार्ट V.3, और परिशिष्ट सारणी V.1 और V.2)।

यूसीबी की वित्तीय मजबूती

आस्ति गुणवत्ता

5.20 पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2010 के अंत में संपूर्ण यूसीबी क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता में समग्रतया तथा प्रतिशत दोनों ही अर्थों में सुधार परिलक्षित हुआ। तथापि यूसीबी क्षेत्र के सकल और निवल अनर्जक उधार, दोनों ही उच्चतर स्तर पर बने रहे (चार्ट V.4)।

5.21 अनर्जक उधारों में कमी के साथ-साथ पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2010 के अंत में यूसीबी के कवरेज अनुपात में भी वृद्धि हुई, जो क्षेत्र की वित्तीय मजबूती में सुधार की ओर इंगित करती है (सारणी V.8)।

पूंजी पर्याप्तता

5.22 मार्च 2010 के अंत में अधिकांश यूसीबी 9 प्रतिशत न्यूनतम सीआरएआर मानदंड का पालन कर रहे थे। तथापि लगभग 13.7 प्रतिशत यूसीबी पूंजी पर्याप्तता संबंधी विनियामक मानदंड को पूरा

सारणी V.7: शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	अनुसूचित		गैर-अनुसूचित		सभी यूसीबी	
	2008-09	2009-10अ	2008-09	2009-10अ	2008-09	2009-10अ
1	2	3	4	5	6	7
क. कुल आय (i+ii)	**7,714**	**8,341**	**10,695**	**11,688**	**18,409**	**20,029**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**
i. ब्याज आय	6,803	7,593	9,828	10,865	16,631	18,458
	(88.2)	(91.0)	(91.9)	(93.0)	(90.3)	(92.2)
ii गैर ब्याज आय	911	748	867	823	1,778	1,571
	(11.8)	(9.0)	(8.1)	(7.0)	(9.7)	(7.8)
ख. कुल व्यय (i+ii)	**6,133**	**7,156**	**8,814**	**9,756**	**14,947**	**16,912**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**
i. ब्याज व्यय	4,444	5,226	6,241	7,013	10,685	12,239
	(72.5)	(73.0)	(70.8)	(71.9)	(71.5)	(72.4)
ii. गैर ब्याज व्यय	1,689	1,930	2,573	2,743	4,262	4,673
	(27.5)	(27.0)	(29.2)	(28.1)	(28.5)	(27.6)
जिसमें से : वेतन बिल	815	1,192	1,548	1,670	2,363	2,862
ग. लाभ						
i. परिचालन लाभ की राशि	1,581	1,185	1,881	1,931	3,461	3,116
ii. प्रावधान, आकस्मिक व्यय, कर	719	533	1,180	1,099	1,899	1,632
iii. निवल लाभ की राशि	862	652	701	832	1,562	1,484
ज्ञापन मद						
i. आस्तियों पर प्रतिलाभ	1.1	0.7	0.6	0.7	0.8	0.7
ii. इक्विटी पर प्रतिलाभ	9.2	5.7	5.1	4.9	6.8	5.2
iii. निवल ब्याज मार्जिन	2.9	2.5	3.3	3.1	3.1	2.8
iv. ब्याजेतर मार्जिन	-1.0	-1.2	-1.6	-1.6	-1.3	-1.4

अः अनंतिम

टिप्पणी : 1. कोष्ठक के आंकड़े कुल का प्रतिशत हैं।
2. ज्ञापन मदों के रूप में दिए गए अनुपात औसत आस्ति अथवा ईक्विटी के डिनोमिनेटर के रूप में रखकर प्राप्त किया गया है।

चार्ट V.3 : अनुसूचित शहरी सहकारी बैकों की आस्तियों पर प्रतिलाभ

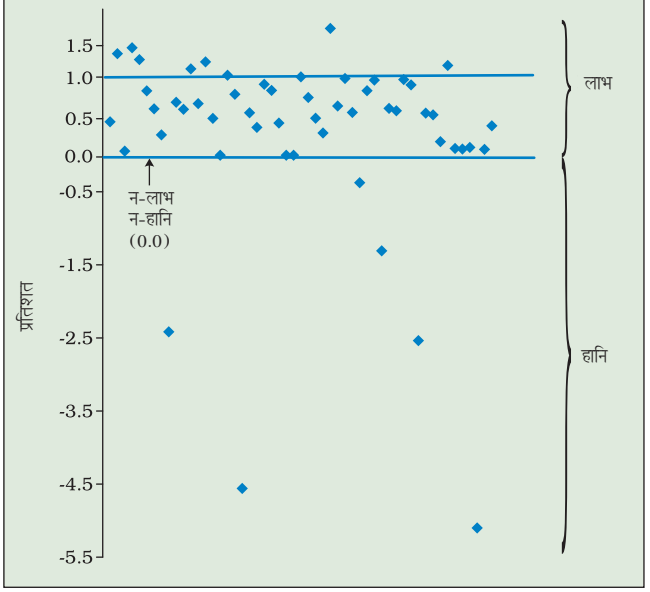

करने में असफल रहे। गैर-अनुसूचित श्रेणी की तुलना में अनुसूचित यूसीबी के मामले में लीवरेज उच्चतर था (सारणी V.9)।

5.23 अनुसूचित यूसीबी के सीआरएआर संबंधी बैंकवार आंकड़े दर्शाते हैं कि यद्यपि उनमें से अधिकांश 9 प्रतिशत के न्यूनतम विनियामक सीआरएआर से कहीं अधिक का अनुरक्षण कर रहे थे, वहीं कुछ अनुसूचित यूसीबी न्यूनतम स्तर को पूरा नहीं कर पाये, तथा सर्वाधिक चेतावनी वाली बात यह थी कि उनमें से ही नौ यूसीबी ने मार्च 2010 के अंत में नकारात्मक सीआरएआर रिपोर्ट किया (चार्ट V.5 तथा परिशिष्ट सारणी V.1)।

चलनिधि

5.24 यूसीबी के तुलनपत्रों पर आधारित कच्चे विश्लेषण से पता चलता है कि भले ही यूसीबी अपने निवेशों का 100 प्रतिशत चलनिधि

चार्ट V.4: शहरी सहकारी बैंकों की अनर्जक आस्तियों का अनुपात

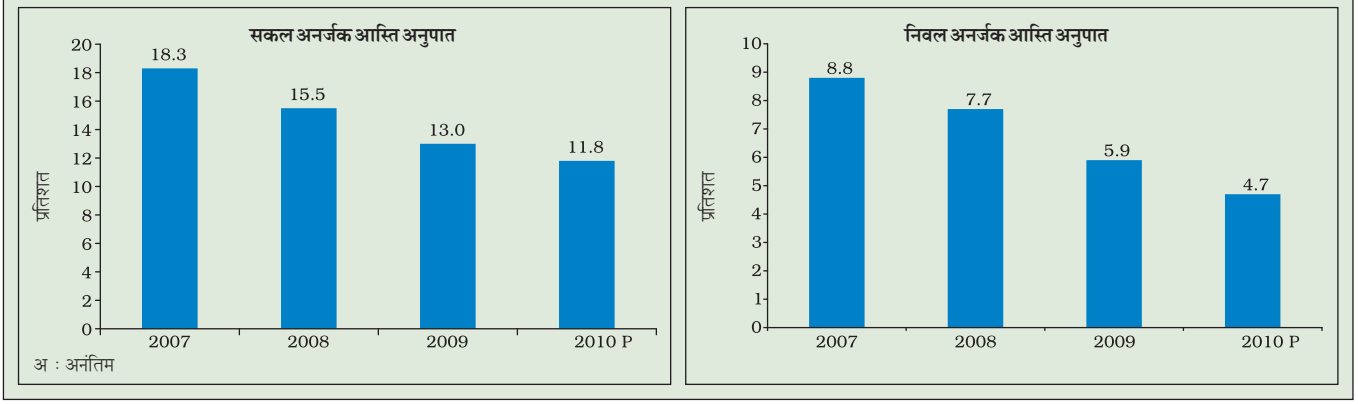

अ : अनंतिम

सारणी V.8: शहरी सहकारी बैंकों की सकल अनर्जक आस्तियां
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

मद	सकल अनर्जक आस्तियां	निवल अनर्जक आस्तियां	प्रावधान	व्याप्ति अनुपात
1	2	3	4	5
2009	12,862	5,161	7,701	59.9
2010P	12,727	4,724	8,003	62.9

अः अनंतिम

टिप्पणी: व्याप्ति अनुपात की गणना सकल एनपीए के प्रति प्रावधान के रूप में किया है।

आस्तियों, अर्थात जिनकी बिक्री एक से पांच दिनों के भीतर की जा सकती हो, में रखते हों, तथापि ये बैंक जमाराशिं निकालने के लिए भगदड़ होने पर बिना किसी बाह्य सहायता के मात्र 50.9 प्रतिशत का ही प्रबंधन कर पाने के योग्य रहेंगे। इस विश्लेषण के लिए प्रयोग में लायी गयी कार्यविधि और पूर्वधारणाएं बॉक्स V.3 में दी गई हैं।

सारणी V.9 : सीआरएआर के अनुसार लीवरेज अनुपात (एलआर) और यूसीबी का वितरण
(मार्च 2010 के अंत में)

सीआरएआर का दायरा (प्रतिशत)	एल आर	सीआर एआर<3	3≤सीआर एआर<6	6≤सीआर एआर≥9	सीआर एआर≥9
1	2	3	4	5	6
गैर-अनुसूचित	14.0	135	25	58	1,403
		(8.3)	(1.5)	(3.6)	(86.6)
अनुसूचित	11.8	9	2	1	41
		(17.0)	(3.8)	(1.9)	(77.4)
सभी यूसीबी	**13.0**	**144**	**27**	**59**	**1,444**
		(8.6)	**(1.6)**	**(3.5)**	**(86.3)**

टिप्पणी: 1. यूसीबी क्षेत्र के लिए समग्र रूप में समेकित सीआरएआर और लीवरेज अनुपात क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता क्योंकि अलग-अलग बैंकों में हुई घट बढ़ बड़े पैमाने पर है।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित योग में प्रतिशत अंश हैं?
3. लीवरेज अनुपात की गणना कुल औसत आस्तियों के प्रति 'पूंजी और आरक्षित निधि' के रूप में ली गई है।
4. आंकड़े अनंतिम है।

चार्ट V.5 : अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का सीआरएआर

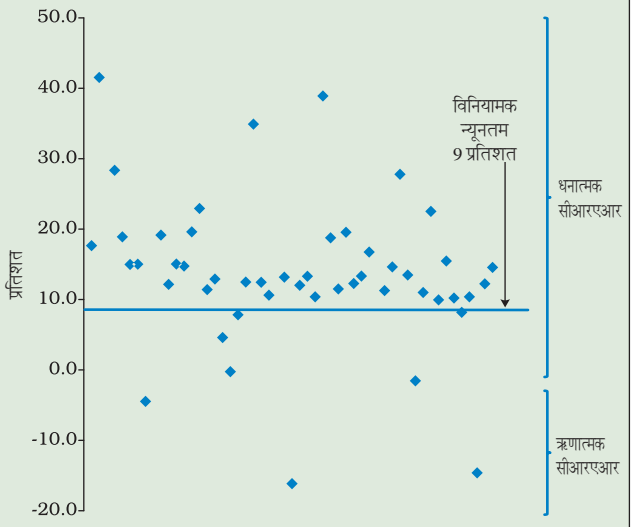

टिप्पणी : मार्च 2010 के अंत में अत्यधिक ऋणात्मक मूल्य के कारण चार शहरी सहकारी बैंकों को इस चार्ट से निकाल दिया गया है (कृपया परिशिष्ट सारणी V.1 देखें)।

वित्तीय समावेशन और यूसीबी

5.25 वाणिज्य बैंकों के साथ-साथ यूसीबी भी जमाकर्ताओं और उधारकर्ताओं को अधिक-से-अधिक संख्या में बैंकिंग के औपचारिक नेटवर्क में सम्मिलित करने के लिए प्रयासरत हैं।

नो फ्रिल्स खाते

5.26 अब तक की गई पहलों में बैंकिंग नेटवर्क को विस्तृत करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम था 'नो फ्रिल्स खाते' प्रारंभ करना। महत्वपूर्ण बात यह है कि यूसीबी ने भी अब तक बड़ी संख्या में नो फ्रिल्स खाते खोले हैं। चूंकि गैर-अनुसूचित यूसीबी क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र की तुलना में अधिक बैंकिंग कारोबार करते हैं, अतः

बॉक्स V.3: शहरी सहकारी बैंकों का तरलता विश्लेषण

यूसीबी संसाधनों के लिए जमाराशियों पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं। इस संदर्भ में बाह्य कारकों, जैसे इन बैंकों से जनता का भरोसा उठ जाना, के कारण जमाराशियाँ आहरित करने के लिए भगदड़ होने पर इस क्षेत्र का सशक्तता परीक्षण करने के लिए चलनिधि तनाव (स्ट्रेस) परीक्षण करना आवश्यक है। तथापि, तनाव परीक्षण संचालित करके, अर्थात जमाराशियां निकालने की होड़ जैसी स्थिति उत्पन्न करके कम स्तर का झटका देकर यूसीबी की चलनिधि स्थिति का विश्लेषण करना यूसीबी के निवेशों की विस्तृत परिपक्वता प्रोफाइल उपलब्ध न होने के कारण संभव नहीं था। बैंकवार विश्लेषण भी डेटा उपलब्ध न होने के कारण संभव नहीं था। इस प्रकार, यूसीबी क्षेत्र के समेकित तुलनपत्रों के आधार पर यूसीबी की आस्ति प्रोफाइल के बारे में कतिपय पूर्वधारणाएं बनाते हुए उनका कच्चा विश्लेषण किया गया है। ये पूर्वधारणाएं मोटे तौर पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) के चलनिधि तनाव परीक्षण के लिए वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में की गई पूर्वधारणाओं पर आधारित हैं।

पूर्वधारणाएं

1. ऐसा माना जाता है कि जमाराशियों का तनावपूर्ण आहरण पांच दिनों की अवधि में होता है।
2. ऐसा माना जाता है कि यूसीबी जमाराशियां आहरण के लिए भगदड़ होने पर उसकी पूर्ति बाहरी मदद का सहारा लिए बिना पहले अपने पास उपलब्ध तरल संसाधनों से कर सकती हैं।
3. यूसीबी की आस्तियों के अंतर्गत उधार और अग्रिम तथा अन्य आस्तियों को, जिनमें अन्य के साथ-साथ अतिदेय प्राप्य ब्याज, परिसर, फर्नीचर, जुड़नार, बिल्स तथा क्रीत और बट्टा किए गए बिल शामिल हैं, अतरल आस्तियों के रूप में माना जाता है।
4. इसके अलावा बैंकों में नकदी, शेषराशियां तथा मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा को तरल आस्ति माना जाता है।
5. इन तरल आस्तियों के अलावा चलनिधि निवेश, अर्थात एक दिन से पांच दिन के भीतर विक्रेय निवेश, भी जमाराशि आहरण की भगदड़ को पूरा करने के लिए उपलब्ध होंगे।

चार्ट : तरल निवेशों की तुलना में जमाराशि आहरण संबंधी भगदड़ का प्रबंधनयोग्य स्तर

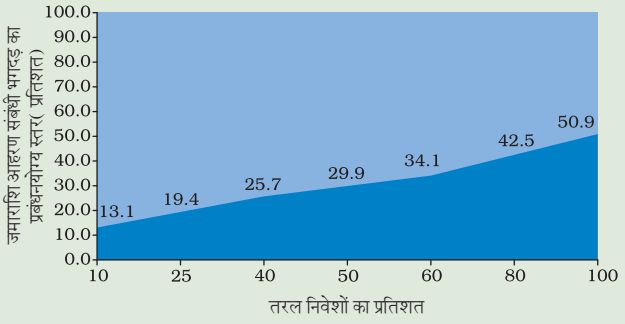

6. ऐसा माना जाता है कि तरल निवेशों की बिक्री दस प्रतिशत हेअरकट पर होती है।
7. कुल निवेशों के विभिन्न प्रतिशतों को तरल मानकर सात परिदृश्य निर्मित किए गए हैं।

निर्मित किए गए परिदृश्य कड़ी पूर्वधारणाओं पर आधारित हैं जो आत्यंतिक हैं। वर्ष 2009-10 के लिए तरल निवेशों के विभिन्न प्रतिशतों पर जमाराशियों के आहरण के लिए भगदड़ के प्रबंधन योग्य स्तर की विस्तृत गणना सारणी में प्रस्तुत की गई है। विश्लेषण में प्रयुक्त आंकड़े अनंतिम है।

तरल निवेशों के विभिन्न स्तरों के लिए कुल जमाराशियों के प्रति कुल तरल निधियों के रूप में परिकल्पित जमा आहरण की भगदड़ का प्रबंधनीय स्तर चार्ट में प्रस्तुत किया गया है। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यदि, यूसीबी अपने निवेश का 100 प्रतिशत तरल आस्तियों में रखते हैं तो, वे बिना किसी बाहरी मदद के 50.9 प्रतिशत मात्र के जमाराशि आहरण संबंधी भगदड़ का प्रबंधन करने में सक्षम होंगे। यह ध्यान देने योग्य है कि यूसीबी के कुल निवेशों का 80 प्रतिशत निवेश एसएलआर में है। यदि हम यह मान लें कि समस्त एसएलआर निवेश पांच दिनों के भीतर बेचे जा सकते हैं, तो यूसीबी 42.5 प्रतिशत मात्र के जमाराशि आहरण संबंधी भगदड़ का प्रबंधन करने में सक्षम होंगे।

सारणी : यूसीबी का तरलता विश्लेषण

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	परिदृश्य						
	I	II	III	IV	V	VI	VII
1	2	3	4	5	6	7	8
1. नकदी	2,218	2,218	2,218	2,218	2,218	2,218	2,218
2. बैंकों में शेष राशियां	12,565	12,565	12,565	12,565	12,565	12,565	12,565
3. मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा	1,466	1,466	1,466	1,466	1,466	1,466	1,466
4. कुल निवेश	85,347	85,347	85,347	85,347	85,347	85,347	85,347
5. तरल निवेशों का प्रतिशत	**10**	**25**	**40**	**50**	**60**	**80**	**100**
6. वास्तविक तरल निवेश	8,535	21,337	34,139	42,674	51,208	68,278	85,347
7. बिक्री पर दस प्रतिशत हेअरकट	853	2,134	3,414	4,267	5,121	6,828	8,535
8. तरल निवेशों की बिक्री (6-7)	7,681	19,203	30,725	38,406	46,087	61,450	76,812
9. कुल तरल निधियां (1+2+3+8)	23,930	35,452	46,974	54,655	62,336	77,699	93,061
जमा आहरण के भगदड़ का प्रबंध योग्य स्तर	**13.1**	**19.4**	**25.7**	**29.9**	**34.1**	**42.5**	**50.9**

अनुसूचित क्षेत्र की तुलना में गैर-अनुसूचित क्षेत्र में जमा खाते, नो फ्रिल्स खाते तथा उधार खाते भी अधिक संख्या में थे। तथापि, अनुसूचित क्षेत्र की तुलना में गैर-अनुसूचित क्षेत्र के उधार खातों का हिस्सा चौंकाने वाला था क्योंकि संपूर्ण यूसीबी क्षेत्र के कुल उधार खातों का सिर्फ आठ प्रतिशत हिस्सा ही अनुसूचित क्षेत्र के पास था (सारणी V.10)।

सारणी V.10 : यूसीबी की जमाराशियां और उधारियों के खातों संबंधी ब्यौरे
(मार्च 2010 के अंत में)

मद	अनुसूचित	गैर-अनुसूचित	सभी यूसीबी
1	2	3	4
जमा खातों की संख्या	2,19,15,317 (35.5)	3,98,45,850 (64.5)	6,17,61,167
जिसमें से : नो फ्रिल खाते	3,41,434 (27.5)	8,98,007 (72.5)	12,39,441
उधार खातों की संख्या	12,51,546 (8.0)	1,43,03,228 (92.0)	1,55,54,774
ज्ञापन मद			
कर्ज-जमाराशि अनुपात	61.0	59.8	60.3
प्रति खाता औसत जमाराशियां रुपये में	36,599	25,763	29,608
प्रति खाता औसत उधार रुपये में	3,91,124	42,895	70,913

टिप्पणी : 1. कोष्ठक के आंकड़े संबंधित कुल का प्रतिशत हैं।

2. प्रति खाता औसत जमाराशि तथा प्रति खाता औसत उधार में यह तथ्य भी सम्मिलित हो सकतै है कि एक ही व्यक्ति के नाम कई जमा खाते और उधार खाते हो सकते हैं।

3. आकड़े अनंतिम हैं।

सारणी V.11: शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और कमजोर वर्ग को दिए गए अग्रिम
(मार्च 2010 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		*जिसमें से* कमजोर वर्ग	
	राशि	कुल अग्रिम में प्रतिशत अंश	राशि	कुल अग्रिम में प्रतिशत अंश
1	2	3	4	5
कृषि और संबंधित कार्य-कलाप	6,383	5.8	2,225	2.0
1. प्रत्यक्ष वित्त	1,882	1.7	611	0.6
2. अप्रत्यक्ष वित्त	4,501	4.1	1,614	1.5
खुदरा व्यापार	10,429	9.5	3,005	2.7
छोटे उद्यम	29,279	26.5	4,400	4.0
1. प्रत्यक्ष वित्त	20,622	18.7	3,207	2.9
2. अप्रत्यक्ष वित्त	8,657	7.8	1,193	1.1
शैक्षिक उधार	1,838	1.7	591	0.5
आवास उधार	17,923	16.2	5,213	4.7
सूक्ष्म कर्ज	4,779	4.3	2,077	1.9
अजा/अजजा के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित संगठन	754	0.7	387	0.4
कुल	**71,385**	**64.7**	**17,898**	**16.2**

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम

5.27 प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिए गए उधार का लक्ष्य[7], जो 1983 में लागू किया गया था, मुख्य रूप से कुल कर्ज़ के एक भाग को अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रों को दिए जाने के लिए था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, कमज़ोर वर्ग, छोटे उद्यम, और आवास सम्मिलित हैं। 7 मार्च 2010 के अंत में, यूसीबी के कुल अग्रिमों का लगभग 65 प्रतिशत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिया गया, जिसमें से कुल अग्रिमों के 16 प्रतिशत से अधिक कमज़ोर वर्गों को दिया गया (सारणी V.11)।

5.28 मार्च 2010 के अंत में यूसीबी के प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिए गए उधार का संयोजन देखने से पता चलता है कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत उधार का सर्वाधिक बड़ा हिस्सा छोटे उद्यम क्षेत्र को गया और उसके बाद आवास तथा खुदरा व्यापार को। इसके अलावा, कमजोर वर्गों को दिए गए उधार के संयोजन को देखने से पता चलता है कि लगभग इसका एक-तिहाई हिस्सा आवास क्षेत्र को तथा एक-चौथाई हिस्सा छोटे उद्यमों को मिला (चार्ट V.6)।

भारत के सभी राज्यों में यूसीबी की आउटरीच (पहुँच)

5.29 राज्यों में यूसीबी के वितरण से पता चलता है कि मार्च 2010 के अंत में सभी यूसीबी का एक-तिहाई,यूसीबी की सभी शाखाओं का लगभग आधा, यूसीबी के कुल विस्तार काउंटरों का लगभग 60 प्रतिशत तथा यूसीबी के एटीएम के 85 प्रतिशत से अधिक महाराष्ट्र में अवस्थित है। तदनुसार, यूसीबी क्षेत्र के कुल बैंकिंग कारोबार का लगभग 60 प्रतिशत महाराष्ट्र में संकेंद्रित है, जिसके बाद शेष राज्यों में परिचालन का बहुत ही छोटा भाग शेष रहता है (चार्ट V.7)।

[7] पिछले वर्ष के 31 मार्च को उनके समायोजित निवल बैंक (एएनबीसी) अथवा तुलनपत्रेतर एक्सपोजर की कर्ज समतुल्य राशि, इनमें से जो भी अधिक हो का मानदंड जो देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए लागू है वह शहरी सहकारी बैंकों के लिए लिए भी लागू है।

चार्ट V.6: प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रों और कमजोर वर्गों को यूसीबी के अग्रिमों का संयोजन
(मार्च 2010 के अंत में)

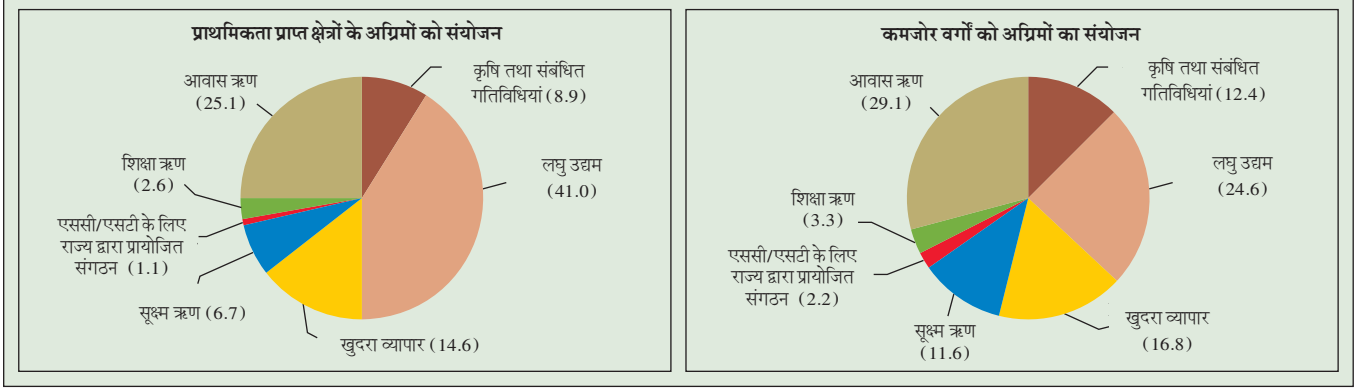

5.30 सामान्यीकृत हरफिन्डल-हिर्स्चमैन सूचकांक से पता चलता है कि पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2010 के अंत में यूसीबी का राज्यवार संकेंद्रण बढ़ा था। इसके अतिरिक्त, इससे यह भी पता चलता है कि राज्यवार संकेंद्रण एटीएम के मामले में अधिक था, जिसके बाद विस्तार काउंटरों, शाखाओं और यूसीबी की संख्या आती है। इसी प्रकार, बैंकिंग केंद्रों में यूसीबी के ग्रेडवार वितरण के लिए सामान्यीकृत हरफिन्डल-हिर्स्चमैन सूचकांक से पता चलता है कि ग्रेड I और ग्रेड II के यूसीबी की तुलना में संपूर्ण बैंकिंग केंद्रों में ग्रेड III और IV यूसीबी का संकेंद्रण अधिक था (सारणी V.12)।

चार्ट V.7: शहरी सहकारी बैंकों के बैंकिंग कारोबार का वितरण

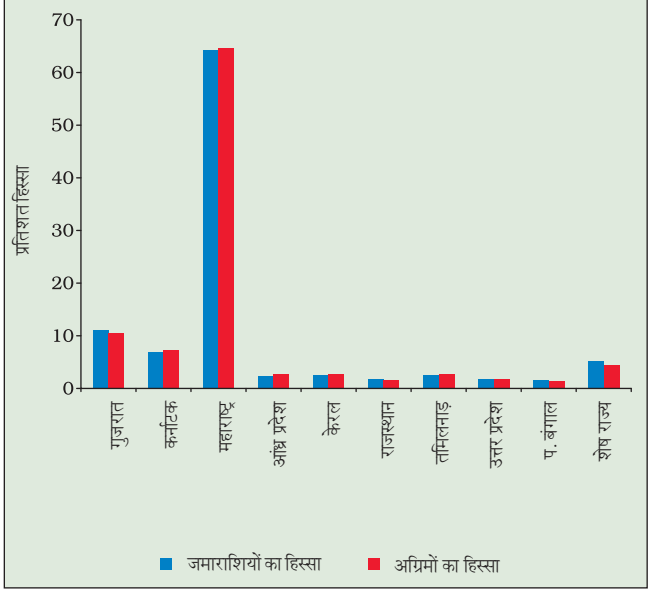

3. ग्रामीण सहकारी संस्थाएं

5.31 इस खंड में अद्यतन उपलब्ध आंकड़ा[8] का उपयोग करते हुए ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के वित्तीय निष्पादन, उनकी मजबूती और तुलनपत्र संकेतकों का विश्लेषण, अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों संदर्भों में, प्रस्तुत किया गया है।

ग्रामीण सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति

5.32 पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थानों की वित्तीय स्थिति में समग्र रूप से सुधार हुआ। मार्च 2009 के अंत में कुल ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के आधे ने लाभ रिपोर्ट किया। इस क्षेत्र द्वारा रिपोर्ट किए गए लाभ मुख्यतया डीसीसीबी ने रिपोर्ट किए थे। मार्च 2009 के अंत में एसटीसीबी, डीसीसीबी और राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) ने समग्र निवल लाभ की रिपोर्टिंग की, वहीं आधारभूत संस्थाओं यथा - प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस), और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (पीसीएआरडीबी) ने समग्र निवल हानि रिपोर्ट की। वित्तीय निष्पादन में बढ़त के बावजूद इसी अवधि के दौरान इस क्षेत्र की

[8] ग्रामीण सहकारी कर्ज संस्थाओं (एसटीसीबी, डीसीसीबी, पीएसीएस, एससीएआरडीबी तथा पीसीएआरडीबी) के आंकड़े एक वर्ष के अंतराल पर प्राप्त होते है, इस खंड में किया गया विश्लेषण वर्ष 2008-09 से संबंधित है।

सारणी V.12 : शहरी सहकारी बैंकों के राज्य-वार और केंद्र-वार ब्यौरे
(मार्च 2010 के अंत में)

राज्य	केंद्र	श्रेणी				संख्या			
		I	II	III	IV	सभी शहरी सहकारी बैंक	शाखाएं	विस्तार काउंटर	एटीएम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
गुजरात	अहमदाबाद	118	98	12	21	249	874	10	69
कर्नाटक	बंगलूर	126	90	38	16	270	848	9	19
मध्य प्रदेश	भोपाल	13	24	11	5	53	91	1	-
उड़ीसा	भुवनेश्वर	2	5	2	3	12	45	4	-
पीबी/एचआर/एचपी	चंडीगढ़	7	5	1	3	16	40	3	2
तमिलनाडु	चेन्नै	98	27	1	4	130	313	-	4
उत्तराखंड	देहरादून	4	1	-	-	5	54	2	3
असम / पूर्वोत्तर	गुवाहाटी	9	6	1	1	17	40	1	-
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	65	34	4	8	111	245	5	2
राजस्थान	जयपुर	26	10	1	2	39	189	3	-
जम्मू और कश्मीर	जम्मू	3	-	-	1	4	16	4	-
पश्चिम बंगाल / सिक्किम	कोलकाता	30	4	3	11	48	101	2	1
उत्तर प्रदेश	लखनऊ	48	6	9	7	70	190	28	8
महाराष्ट्र	मुंबई	216	91	51	45	557	3,407	122	731
	नागपुर	59	38	37	20				
नई दिल्ली	नई दिल्ली	11	2	1	1	15	65	1	-
बिहार / झारखंड	पटना	5	-	-	-	5	6	1	-
छत्तीसगढ़	रायपुर	7	3	2	1	13	21	2	1
केरल	टीवीएम	32	21	5	2	60	339	2	-
कुल		**879**	**465**	**179**	**151**	**1,674**	**6,884**	**200**	**840**

टीवीएम: तिरुअनंतपुरम पीबी:.पंजाब एचआर एचआर : हरियाणा एचपीः हिमाचल प्रदेश

टिप्पणी: 1. आंकड़े अनंतिम हैं।

2. शाखाएं प्रधान कार्यालय सह शाखा के रूप में हैं।

3. 840 एटीएम में से 26 ऑफ साइट एटीएम और बाकी ऑन साइट एटीएम हैं। ऑफ साइट एटीएम चार राज्यों में अर्थात 16 महाराष्ट्र में, 6 उत्तर प्रदेश में, 3 गुजरात में और एक कर्नाटक में हैं।

आस्ति गुणवत्ता में क्षरण परिलक्षित हुआ । मार्च 2009 के अंत में संपूर्ण ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के अनर्जक ऋणों का सबसे बड़ा भाग अल्पकालिक ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के हिस्से में था। बड़ी बात यह है कि आधारभूत संस्थाओं यथा - पीएसीएस और पीसीएआरडीबी ने अपने से ऊपर टियर वाले संस्थानों की तुलना में उच्च एनपीए (अनर्जक आस्ति) अनुपात दर्ज किया। ग्रामीण सहकारी क्षेत्र में दूसरी बड़ी बातयह थी कि भले ही अल्पकालिक सहकारी ऋण संस्थाओं की निर्भरता उधारियों पर बहुत कम रहती आई (पीएसीएस को छोड़कर), दीर्घकालिक सहकारी ऋण संस्थाओं की निर्भरता उधारियों पर अत्यधिक रही (सारणी V.13)।

सहकारी संस्थाओं का प्रबंधन

5.33 मार्च 2009 के अंत में लगभग एक-तिहाई ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं (पीएसीएस को छोड़कर) के बोर्ड अधिक्रमण की प्रक्रिया में थे। तथापि पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में अधिक्रमित बोर्डों की संख्या में कमी आई। मार्च 2009 के अंत में एससीएआरडीबी में अधिक्रमित बोर्डों की संख्या सर्वाधिक थी (सारणी V.14)।

सहकारी संस्थाओं की अल्पकालिक संरचना

5.34 अल्पकालिक ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं ने पिछले वर्ष की समग्र हानि की तुलना में मार्च 2009 के अंत में समग्र लाभ

सारणी V.13 ग्रामीण सहकारी बैंकों का स्वरूप

(मार्च 2009 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	अल्पकालिक			दीर्घकालिक		कुल
	राज्य सहकारी बैंक	डीसीसीबी	पीएसीएस	एससीएआरडीबी	पीसीएआरडीबी	
1	2	3	4	5	6	7
क. सहकारी बैंकों की संख्या	31	370	95,633	20	697	96,751
ख. तुलनपत्र संकेतक						
i) स्वाधिकृत निधि (पूंजी+आरक्षित निधियाँ)	11,726	29,792	11,806	4,003	5,007	62,334
ii) जमाराशियां	68,659	1,27,623	26,245	711	400	2,23,638
iii) उधार राशियाँ	20,874	27,664	48,938	15,849	12,365	1,25,690
iv) जारी उधार और अग्रिम*	93,883	90,105	58,787	2,585	1,195	2,46,555
v) बकाया उधार और अग्रिम	48,079	99,429	64,044	16,421	11,268	2,39,241
vi) निवेश	45,230	64,709	-	2,941	1,122	1,14,002
vii) कुल देयताएं/आस्तियां	1,06,321	1,95,684	94,585+	25,386	24,846	4,46,822
ग. वित्तीय कार्य निष्पादन						
i) लाभ वाली संस्थाएं						
क) संख्या	26	320	37,291	11	303	37,951
ख) लाभ की राशि	385	1,603	843	398	177	3,406
ii) हानि वाली संस्थाएं						
क) संख्या	5	50	45,869	8	309	46,241
ख) हानि की राशि	-71	-287	-1,915	-349	-375	-2,997
iii) समग्र लाभ (+)/हानि (-)	314	1,316	-1,072	49	-198	408
iv) संचित हानि	459	5,213	-	1,108	3,678	10,458
घ. अनर्जक आस्तियां						
i) राशि	5,764	17,929	37,937++	4,938	4,393	70,961
ii) बकाया ऋण के प्रतिशत के रूप में	12.0	18.0	59.2	30.1	39.0	29.7
iii) मांग की तुलना में ऋण की वसूली (प्रतिशत)	92	72	-	49	39	-

डीसीसीबी : जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, पीएसीएस : प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, एससीएआरडीबी : राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, पीसीएआरडीबी : प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

*: अप्रैल - मार्च '-' : उपलब्ध नहीं +: कार्यशील पूंजी ++: कुल अतिदेय।

टिप्पणी: 1) आंकड़े अनंतिम हैं।

2) बिहार, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के राज्य सहकारी बैंकों के वर्ष 2009-09 के आंकड़े दोहराए गए हैं।

3) बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और केरल के जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के वर्ष 2008-09 के आंकड़े दोहराए गए हैं।

4) 2008-09 के दौरान 12,473 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां न लाभ न हानि की स्थिति में हैं।

5) राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के महाराष्ट्र राज्य के आंकड़े वर्ष 2007-08 से 2008-09 के लिए दोहराए गए हैं।

6) मणिपुर के राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का काम बंद हो गया है।

स्रोत : नाबार्ड और राज्य सहकारी बैंक राष्ट्रीय महासंघ (एनएएफएससीओबी)।

रिपोर्ट किया। इन संस्थाओं की समग्र वित्तीय स्थिति के पलटने का मुख्य कारण डीसीसीबी द्वारा रिपोर्ट किए गए लाभ और पिछले वर्ष की तुलना में पीएसीएस द्वारा रिपोर्ट की गई कम हानियां रही हैं। वित्तीय स्थिति में सुधार होने के अलावा इन संस्थाओं के तुलनपत्र में पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में प्रसार देखा गया। राज्य सहकारी बैंकों ने तुलनपत्रों में सर्वाधिक प्रसार दर्ज किया, जिसके बाद डीसीसीबी और पीएसीएस का स्थान है। पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में राज्य सहकारी बैंकों और डीसीसीबी की आस्ति गुणवत्ता में सुधार आया परंतु इसी अवधि के दौरान पीएसीएस की आस्ति गुणवत्ता में क्षरण हुआ। ध्यान देने योग्य बात है कि ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं में बकाया ऋण के प्रति अनर्जक ऋण अनुपात का सर्वाधिक स्तर पीएसीएस द्वारा रिपोर्ट किया गया।

सारणी V.14: अधिक्रमण के अधीन निर्वाचित बोर्ड
(31 मार्च 2009 की स्थिति)

मद	राज्य सहकारी बैंक	डीसीसीबी	एससीएआरडीबी	पीसीएआरडीबी	**कुल**
1	2	3	4	5	6
(i) संस्थाओं की कुल संख्या	31	370	20	697	**1,118**
(ii) उन संस्थाओं की कुल संख्या जहाँ बोर्ड अधिक्रमण केअधीन थे।	9	127	9	265	**410**
अधिक्रमण के अंतर्गत रिपोर्टिंग बोर्डों का प्रतिशत [(ii) के प्रतिशत के रूप में (i)	**29.0**	**34.3**	**45.0**	**38.0**	**36.7**

एसटीसीबी : राज्य सहकारी बैंक,डीसीसीबी:जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, एससीएआरडीबी:राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक,पीसीएआरडीबी:प्राथमिक सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक

टिप्पणी: 1) बिहार के एससीएआरडीबी और बिहार और झारखंड के डीसीसीबी से संबंधित आकड़ों की 2008-09 के लिए पुनरावृत्ति की गई है।
2) मणिपुर में एससीएआरडीबी अप्रचलित है।
3) आकड़े अनंतिम हैं ।

स्रोत : नाबार्ड।

राज्य सहकारी बैंक

राज्य सहकारी बैंकों का तुलनपत्र परिचालन

5.35 2008-09 के दौरान राज्य सहकारी बैंकों के तुलनपत्रों में पिछले वर्ष की तुलना में उच्च वृद्धि दर्ज हुई है जिसका श्रेय देयता पक्ष में जमाराशियों को और आस्ति पक्ष में निवेशों को जाता है। तथापि, पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में कर्ज तथा अग्रिमों में गिरावट आई। यद्यपि देयता पक्ष में जमाराशियों के हिस्से में पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में बढ़त हुई है, तथापि उधार राशियों के हिस्से में कमी आई है। तथापि, जमाराशियों में हुई वृद्धि का उपयोग ऋण प्रदान करने के बजाय निवेश निर्मित करने में किया गया जिसका प्रमुख कारण वर्ष के दौरान सामान्य आर्थिक मंदी के परिप्रेक्ष्य में इन बैंकों में बढ़े हुए जोखिम विमुखता की प्रवृत्ति और दूसरी ओर राजकोषीय लाभ उठाने की प्रवृत्ति हो सकता है (सारणी V.15)।

5.36 धारा 42(2) की विवरणियों से उपलब्ध 16 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के प्रमुख तुलनपत्र संकेतकों की अद्यतन सूचना दर्शाती है कि पिछले वर्ष की तुलना में 2009-10 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को प्रमुख संकेतकों में और सुधार हुआ। एसएलआर निवेशों की वृद्धि में 2008-09 की तुलना में 2009-10 के दौरान बढ़ोतरी दिखी। उल्लेखनीय है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के द्वारा संवितरित बैंक ऋण में भी सुधार हुआ, जिसमें 2009-10 के दौरान सकारात्मक वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष के दौरान इसमें कमी आई थी (सारणी V.16)।

सारणी V.15: राज्य सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां
(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2007-08	2008-09अ	2007-08	2008-09अ
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	1,534 (1.6)	1,569 (1.5)	23.2	2.3
2. आरक्षित निधि	9,905 (10.4)	10,157 (9.6)	6.5	2.5
3. जमाराशियां	56,325 (59.3)	68,659 (64.6)	16.0	21.9
4. उधार	22,577 (23.8)	20,874 (19.6)	1.4	-7.5
5. अन्य देयताएं	4,637 (4.9)	5,062 (4.8)	5.6	9.2
आस्तियां				
1. नकदी और बैंक शेष	8,312 (8.8)	7,921 (7.4)	-10.5	-4.7
2. निवेश	31,541 (33.2)	45,230 (42.5)	30.7	43.4
3. ऋण और अग्रिम	50,028 (52.7)	48,079 (45.2)	5.6	-3.9
4. अन्य आस्तियां	5,095 (5.4)	5,092 (4.8)	2.5	-0.1
कुल देयताएं /आस्तियां	**94,977 (100.0)**	**1,06,321 (100.0)**	**10.8**	**11.9**

अ : अनंतिम।

टिप्पणी: 1) कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल आस्ति / देयताों के प्रतिशत हैं।
2) बिहार, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के राज्य सहकारी बैंकों के आंकड़े वर्ष 2008-09 के लिए दोहराए गए हैं।
3) 'आरक्षित निधि' में लाभ-हानि खाते के जमा शेष शामिल हैं जिसे कुछ बैंकों ने अलग से दर्शाया है।

स्रोत : नाबार्ड।

सारणी V 16 : अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के तुलनपत्र के प्रमुख संकेतक

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार के अनुसार		
	2008	2009	2010
1	2	3	4
कुल जमाराशियां	42,396 (16.0)	52,568 (24.0)	65,175 (24.0)
बैंक कर्ज	46,886 (5.0)	42,372 -(9.6)	43,350 (2.3)
एसएलआर निवेश	15,773 (17.6)	17,179 (8.9)	23,905 (39.2)

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन दर्शाते हैं।

स्रोत : धारा 42(2) के आंकड़ों की फार्म 'बी' विवरणी।

राज्य सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन

5.37 राज्य सहकारी बैंकों के वित्तीय निष्पादन में उच्च निवल लाभ, उच्च आरओए और उच्च आरओई के कारण पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में सुधार आया। राज्य सहकारी बैंकों के न केवल लाभप्रदता संकेतकों में सुधार हुआ बल्कि पिछले वर्ष की तुलना में मुनाफा वाली संस्थाओं की संख्या में भी वृद्धि हुई। हालांकि, राज्य सहकारी बैंकों के परिचालन लाभ में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई जो मुख्य रूप से आय में वृद्धि की तुलना में ब्याज व्ययों में और परिचालन व्ययों में अधिक वृद्धि के कारण थी। फिर भी, राज्य सहकारी बैंकों ने प्रावधानों और आकस्मिक व्ययों में कमी के कारण उच्च निवल लाभ दर्ज किए (सारणी V.17)।

सारणी V.17: राज्य सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2007-08	2008-09अ	2007-08	2008-09अ
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	**6,194** (100.0)	**7,372** (100.0)	**18.1**	**19.0**
i. ब्याज आय	5,980 (96.5)	7,065 (95.8)	20.2	18.1
ii. अन्य आय	214 (3.5)	307 (4.2)	-20.2	43.3
ख. कुल व्यय (i+ii+iii)	**5,973** (100.0)	**7,058** (100.0)	**20.2**	**18.2**
i. ब्याज व्यय	4,586 (76.8)	5,563 (78.8)	23.7	21.3
ii. प्रावधान और आकस्मिक व्यय	543 (9.1)	419 (5.9)	8.1	-22.8
iii. परिचालन व्यय	844 (14.1)	1,076 (15.2)	11.5	27.4
जिसमें से :				
वेतन बिल :	458 (7.7)	498 (7.1)	15.1	8.7
ग. लाभ				
i. परिचालन लाभ	764	733	-1.8	-4.0
ii. निवल लाभ राशि	221	314	-19.7	42.0
iii. आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.2	0.3		
iv. इक्विटी पर प्रतिलाभ	2.0	2.7		
v. निवल ब्याज मार्जिन	1.5	1.5		

अः अनंतिम

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित योग में प्रतिशत अंश हैं?

2. बिहार, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के राज्य सहकारी बैंकों के आंकड़े वर्ष 2008-09 के लिए दोहराए गए हैं।

स्रोत : नाबार्ड

राज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता

आस्ति गुणवत्ता

5.38 राज्य सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में समग्र और प्रतिशत दोनों ही अर्थ में पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में सुधार हुआ। अनर्जक उधारों के श्रेणीवार ब्यौरे दर्शाते हैं कि हानि श्रेणी में सर्वाधिक गिरावट रही। इस प्रकार, कुल अनर्जक उधारों में हानि आस्तियों के हिस्से में 2007-08 की तुलना में 2008-09 में गिरावट आई। इसी प्रकार, अवमानकआस्तियों में भी पिछले वर्ष की तुलना में 2008-09 के दौरान गिरावट दिखी जिससे पिछले वर्ष की तुलना में 2008-09 के दौरान कुल अनर्जक उधारों में इसके हिस्से में कमी आई। अवमानक आस्तियों में गिरावट दर्शाती है कि अनर्जक उधारों में नई वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में 2008-09 में तुलनात्मक रूप से कम थी (चार्ट 8 तथा सारणी V.18)।

पूंजी पर्याप्तता

5.39 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की पूंजी पर्याप्तता में पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में कमी आई। चूंकि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जोखिम भारित आस्तियों के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे 'निवेश और अग्रिम' की तुलना में 'पूंजी और आरक्षित निधियों' के अनुपात को पूंजी पर्याप्तता के एक मोटे संकेतक के रूप में लिया गया था। यह अनुपात पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत

चार्ट V.8 : राज्य सहकारी बैंकों की अनर्जक आस्तियों का संयोजन

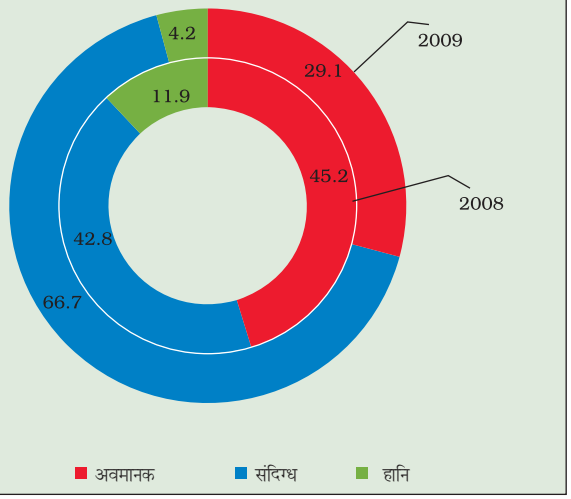

में कम हो गया। पूंजी पर्याप्तता में यह गिरावट मुख्य रूप से पूंजी और आरक्षित निधियों में मामूली वृद्धि की तुलना में निवेश में उच्च वृद्धि के कारण थी (सारणी V.18)।

सारणी V.18 : राज्य सहकारी बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घटबढ़	
	2008	2009अ	2008	2009अ
1	2	3	4	5
क. कुल एनपीए (i+ii+iii)	**6,191**	**5,764**	-7.7	-6.9
i) अवमानक	2,801	1,678	-5.3	-40.1
ii) संदिग्ध	2,653	3,843	1.1	44.9
iii) हानि	737	242	-34.3	-67.2
ख. उधार के प्रति एनपीए का अनुपात	**12.4**	**12.0**		
i) मांग की तुलना में वसूली (%)	84.6	91.8		
ii) अपेक्षित प्रावधान	2,657	2,883	-5.8	8.5
iii) किया गया प्रावधान	3,000	3,309	-6.2	10.3
ग. सीआरएआर*	**14.0**	**12.6**		
घ.लीवरेज अनुपात	**12.0**	**11.0**		

अ: अनंतिम

* : इसकी गणना 'निवेश और अग्रिम' के प्रति 'पूंजी और आरक्षित' के अनुपात के रूप में की गई है।

स्रोत: नाबार्ड

जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का तुलनपत्र परिचालन

5.40 डीसीसीबी ग्रामीण अल्पकालिक सहकारी ऋण ढांचे के दूसरे टियर हैं[9]। 2008-09 के दौरान डीसीसीबी के तुलनपत्र में पिछले वर्ष की तुलना में कम वृद्धि दिखी। डीसीसीबी के तुलनपत्र में वृद्धि देयता पक्ष की जमाराशियों और आस्ति पक्ष के निवेशों के कारण थी। देयता पक्ष में, डीसीसीबी के उधारों में पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में गिरावट दिखी जो डीसीसीबी के द्वारा संसाधनों के लिए उधारों पर कम निर्भरता को दर्शाती है। इसके विपरीत, वर्ष के दौरान जमा संग्रहण में तेजी आई जिससे डीसीसीबी की कुल देयताओं के हिस्से में वृद्धि हुई। हालांकि, राज्य सहकारी बैंकों के मामले में, बढ़ा हुआ जमाराशि संग्रहण बढ़े हुए निवेशों में परिलक्षित हुआ बजाय ऋणों और अग्रिमों में वृद्धि के। ऐसा या तो इन बैंकों के जोखिम से विमुख होने के कारण था अथवा खजाना अनुलाभों से फायदा उठाने के उद्देश्य से था (सारणी V.19)।

डीसीसीबी का वित्तीय निष्पादन

5.41 पिछले वर्ष की तुलना में डीसीसीबी के वित्तीय निष्पादन में मार्च 2009 के अंत में समग्र सुधार हुआ। महत्वपूर्ण बात यह है कि डीसीसीबी ने पिछले वर्ष के दौरान सूचित निवल हानियों की तुलना में मार्च 2009 के अंत में समग्र निवल लाभ सूचित किये। इस प्रकार, इनकी वित्तीय स्थिति में भारी परिवर्तन दिखा। इस अवधि के दौरान लाभ कमाने वाले डीसीसीबी की संख्या में भी वृद्धि हुई। तदनुसार, आरओए और आरओई जैसे लाभप्रदता संकेतकों में भी पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान सुधार दिखा। राज्य सहकारी बैंकों के मामले में पाये गये रुझान के विपरीत, डीसीसीबी ने मार्च 2009 के अंत में मुख्य रूप से उच्च निवल ब्याज आय के कारण उच्चतर परिचालन लाभ सूचित किये। हालांकि, वृद्धि प्रावधानों

[9] उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में इकहरा अल्पकालिक सहकारी ऋण ढांचा है, इसलिए इन राज्यों में कोई डीसीसीबी नहीं है।

सारणी V.19: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2008	2009अ	2008	2009अ
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	5,939 (3.3)	6,578 (3.4)	8.8	10.8
2. आरक्षित निधि	22,467 (12.6)	23,214 (11.9)	8.4	3.3
3. जमाराशियां	1,09,597 (61.3)	1,27,623 (65.2)	15.9	16.4
4. उधार	32,130 (18.0)	27,664 (14.1)	7.4	-13.9
5. अन्य देयताएं	8,749 (4.9)	10,605 (5.4)	5.8	21.2
आस्तियां				
1. नकदी और बैंक शेष	10,609 (5.9)	12,918 (6.6)	-5.9	21.8
2. निवेश	48,228 (27.0)	64,709 (33.1)	17.6	34.2
3. ऋण और अग्रिम	1,01,221 (56.6)	99,429 (50.8)	13.7	-1.8
4. अन्य आस्तियां	18,823 (10.5)	18,629 (9.5)	7.1	-1.0
कुल देयताएं / आस्तियां	**1,78,881 (100.0)**	**1,95,684 (100.0)**	**12.6**	**9.4**

अ : अनंतिम

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।
2. 'आरक्षित निधि' में लाभ-हानि लेखा में जमा शेष शामिल है जिसे कुछ बैंकों ने अलग से दर्शाया है।
3. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और केरल के जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के 2008-09 के दोहराए गए हैं, क्योंकि अद्यतन आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

सारणी V.20: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2007-08	2008-09अ	2007-08	2008-09अ
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	**13,135 (100.0)**	**16,107 (100.0)**	**12.7**	**22.6**
i. ब्याज आय	11,980 (91.2)	14,619 (90.8)	13.0	22.0
ii. अन्य आय	1,155 (8.8)	1,488 (9.2)	9.5	28.9
ख. व्यय (i+ii+iii)	**13,274 (100.0)**	**14,792 (100.0)**	**14.2**	**11.4**
i. व्यय किया गया ब्याज	7,872 (59.3)	9,239 (62.5)	18.0	17.4
ii. प्रावधान और आकस्मिक खर्च	2,423 (18.3)	2,140 (14.5)	6.1	-11.7
iii. परिचालन खर्च	2,980 (22.4)	3,413 (23.1)	11.6	14.5
जिसमें से : वेतन बिल	1,980 (14.9)	2,243 (15.2)	7.8	13.3
ग. लाभ				
i. परिचालन लाभ	2,284	3,456	-1.3	51.3
ii. निवल लाभ	-139	1,315	-	-
iii. आस्तियों पर प्रतिलाभ	-0.1	0.7		
iv. इक्विटी पर प्रतिलाभ	-0.5	4.5		
v. निवल ब्याज मार्जिन	2.4	2.9		

अ : अनंतिम।

टिप्पणी: 1) कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत हैं।
2) बिहार, झारखंड, प. बंगाल और केरल के डी सी सी बी के आंकड़ों की पुनरावृत्ति वर्ष 2008-09 के लिए हुई है। (अद्यतन आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण)

स्रोत : नाबार्ड।

और आकस्मिक व्ययों में कमी के कारण परिचालन लाभों की तुलना में निवल लाभ में वृद्धि अधिक रही (सारणी V.20)।

डीसीसीबी की वित्तीय सुदृढ़ता

आस्ति गुणवत्ता

5.42 डीसीसीबी की आस्ति गुणवत्ता में पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में, समग्र और प्रतिशत दोनों अर्थों में, सुधार हुआ। पिछले वर्ष की तुलना में 2008-09 के दौरान कुल अनर्जक उधारों में समग्र गिरावट संदिग्ध ऋणों में समग्र गिरावट के कारण थी। तथापि, अवमानक उधारों और हानि उधारों में पिछले वर्ष की तुलना में 2008-09 के दौरान वृद्धि हुई। 2008-09 के दौरान अवमानक उधार कुल अनर्जक उधारों में प्रमुख श्रेणी में थे इसके पश्चात संदिग्ध उधार और हानि उधार थे (चार्ट 9 और सारणी V.21)।

पूंजी पर्याप्तता

5.43 डीसीसीबी की पूंजी पर्याप्तता में पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में कमी आई। चूंकि डीसीसीबी की जोखिम भारित आस्तियों के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे निवेश और अग्रिम की तुलना में पूंजी और आरक्षित निधियों के अनुपात को पूंजी पर्याप्तता के

चार्ट V.9: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की अनर्जक आस्तियों का संयोजन

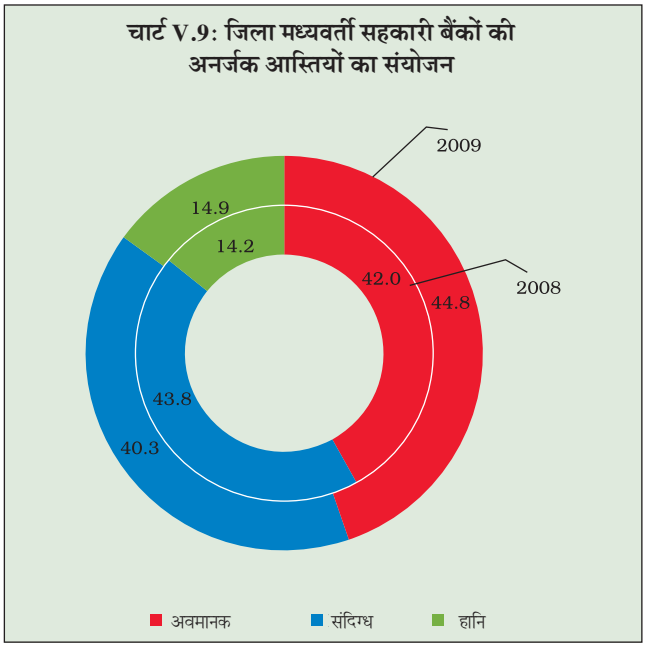

एक मोटे संकेतक के रूप में लिया गया। यह अनुपात पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में कम हो गया। पूंजी पर्याप्तता में यह गिरावट मुख्य रूप से पूंजी और आरक्षित निधियों में मामूली वृद्धि की तुलना में डीसीसीबी निवेश में उच्च वृद्धि के कारण थी। जैसाकि पहले कहा गया है कि डीसीसीबी के ऋण और अग्रिम इस अवधि के दौरान कम हुए (सारणी V.21)।

सारणी V.21 : जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2008	2009अ	2008	2009अ
1	2	3	4	5
क. कुल एनपीए (i+ ii + iii)	**18,754**	**17,929**	**14.5**	**-4.4**
i) अवमानक	7,880	8,030	14.6	1.9
ii) संदिग्ध	8,214	7,221	16.1	-12.1
iii) हानि	2,660	2,678	9.7	0.7
ख. उधार के प्रति एनपीए का अनुपात	**18.5**	**17.9**		
i) मांग की तुलना में वसुली (%)	55.6	72.2		
ii) अपेक्षित प्रावधान	10,394	10,225	1.7	-1.6
iii) किया गया प्रावधान	12,079	11,463	-0.7	-5.1
ग. सीआरएआर*	**19.0**	**18.2**		
घ.लीवरेज अनुपात	**15.9**	**15.2**		

अः अनंतिम

* : इसकी गणना 'निवेश और अग्रिम' के प्रति 'पूंजी और आरक्षित' के अनुपात के रूप में की गई है।

स्रोत: नाबार्ड

प्राथमिक कृषि ऋण समितियां

5.44 पीएसीएस सहकारी क्षेत्र के बुनियादी स्तर पर अल्पकालिक ग्रामीण ऋण खंड के रूप में कार्य करती हैं।

पीएसीएस के चुनिंदा तुलनपत्र संकेतक

5.45 पीएसीएस के तुलनपत्र परिचालनों में पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में विस्तार हुआ। मार्च 2009 के अंत में पीएसीएस के कुल संसाधनों में वृद्धि हुई जो मुख्य रूप से उधारों में वृद्धि और इसके पश्चात स्वाधिकृत निधियों में वृद्धि के कारण थी। यह उल्लेख करना अनावश्यक होगा कि पीएसीएस संसाधनों के लिए उधारों पर बहुत अधिक निर्भर थे। पीएसीएस के द्वारा जारी कुल उधारों में भी 2008-09 के दौरान वृद्धि हुई। उसी वर्ष के दौरान मध्यकालिक उधारों में अल्पकालिक उधारों की तुलना में अधिक वृद्धि हुई। हालांकि, मार्च 2009 के अंत में जारी कुल उधारों में से, अल्पकालिक उधारों का एक बड़ा हिस्सा था (सारणी V.22)।

सारणी V.22: प्राथमिक कृषि ऋण समितियां - तुलनपत्र के चुनिंदा संकेतक

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़
	2008	2009 अ	2009
1	2	3	4
क. देयताएं			
1. कुल संसाधन (2+3+4)	84,281	86,990	3.2
2. स्वाधिकृत निधियां (क+ख)	10,984	11,806	7.5
क. प्रदत्त पूंजी	6,597	7,007	6.2
जिसमें से, सरकार का अंशदान	629	603	-4.1
ख. कुल आरक्षित निधियां	4,387	4,889	11.4
3. जमाराशियां	25,449	26,245	3.1
4. उधार राशियाँ	47,848	48,938	2.3
5. कार्यशील पूंजी	88,107	94,585	7.4
ख. आस्तियां			
1. कुल जारी उधार (क+ख)*	57,643	58,787	2.0
क) अल्पावधि	47,390	48,022	1.3
ख) मध्यावधि	10,253	10,765	5.0
2. कुल बकाया उधार (क+ख)	65,666	64,044	-2.5
क) अल्पावधि	43,696	45,686	4.6
ख) मध्यावधि	21,970	18,359	-16.4
ज्ञापन मद			
सीआरएआर**	16.7	18.6	
कुल बकाया उधार की तुलना में अतिदेयों का प्रतिशत	36.6	59.2	

अ : अनंतिम।

* : वर्ष के दौरान।

** : कुल बकाया उधार के प्रति ''पूंजी और आरक्षित निधियों'' के अनुपात के रूप में गणना।

स्रोत: नाफस्कोब।

लाभप्रदता

5.46 पीएसीएस के वित्तीय निष्पादन के विश्लेषण ने दर्शाया कि अधिकांश पीएसीएस हानि उठानेवाली संस्थाएं थीं। मार्च 2009 के अंत में देश में कार्यरत कुल पीएसीएस में से आधे से कुछ कम ने हानियां सूचित कीं। तथापि 2009 के अंत में कुल पीएसीएस में से लगभग दो तिहाई को अर्थक्षम के रूप में वर्गीकृत किया गया और अन्य एक चौथाई को संभावित रूप से अर्थक्षम के रूप में वर्गीकृत किया गया।

पूंजी पर्याप्तता

5.47 पीएसीएस की पूंजी पर्याप्तता में पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में सुधार दिखा। चूंकि जोखिम भारित आस्ति संबंधी आंकड़े पीएसीएस के लिए उपलब्ध नहीं थे, अतः कुल बकाया उधार की तुलना में कुल अनुपात को पूंजी पर्याप्तता के एक मोटे संकेतक के रूप में लिया गया है। इस अनुपात में पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में सुधार हुआ, जो मुख्यतया कुल बकाया ऋणों में गिरावट के कारण था (सारणी V.22)।

आस्ति गुणवत्ता

5.48 पीएसीएस की आस्ति गुणवत्ता में पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में गिरावट आई। जैसा कि पूंजी पर्याप्तता के मामले में है, पीएसीएस के अनर्जक उधारों के आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं। अतः, कुल बकाया उधार की तुलना में कुल अतिदेयों के अनुपात को आस्ति गुणवत्ता के मोटे संकेतक के रूप में लिया गया है। यह अनुपात पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में बढ़ गया (सारणी V.22)।

ग्रामीण सहकारी समितियों का दीर्घकालिक ढांचा

5.49 जैसा कि अल्पकालिक ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के मामले में हुआ है, दीर्घकालिक ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के तुलनपत्र में भी पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में विस्तार हुआ। इसके अलावा, दीर्घकालिक ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के वित्तीय निष्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में समग्र सुधार हुआ। जबकि राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) ने मार्च 2009 के अंत में समग्र निवल लाभ सूचित किया, प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) ने पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में समग्र निवल हानियां सूचित कीं।

राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

एससीएआरडीबी का तुलनपत्र परिचालन

5.50 एससीएआरडीबी के तुलनपत्र में पिछले वर्ष की तुलना में 2008-09 के दौरान अधिक विस्तार हुआ। तुलनपत्र में विस्तार देयता पक्ष की अन्य देयताओं और आस्ति पक्ष[10] की 'अन्य' आस्तियों के कारण था। मार्च 2009 के अंत में जमाराशियां एससीएआरडीबी की कुल देयताओं का केवल एक लघु प्रतिशत थीं। एससीएआरडीबी के तुलनपत्र की एक दूसरी गतिविधि 2008-09 में पूंजी में गिरावट थी। फिर भी, आरक्षित निधियों में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दिखी। पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में उधार और अग्रिमों में गिरावट आई जबकि निवेश में वृद्धि दिखी। ऐसा सामान्य आर्थिक मंदी के कारण इन बैंकों द्वारा जोखिम न लेने के कारण हो सकता है (सारणी V.23)।

एससीएआरडीबी का वित्तीय निष्पादन

5.51 एससीएआरडीबी के वित्तीय निष्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में सुधार दिखा। एससीएआरडीबी ने मार्च 2009 के अंत में समग्र निवल लाभ सूचित किए जबकि पिछले वर्ष में इसमें समग्र निवल हानियां हुई थीं। मुनाफा कमानेवाले एससीएआरडीबी की संख्या भी पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में बढ़ी। तदनुसार,

[10] एससीएआरडीबी की ञअन्य देयताओंट में ञपट्टा निधिट, शेयर चुकौती निधि, देय लेखा-परीक्षा शुल्क, कृषि तथा ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1991 की अदावी राशि तथा भवनों की बिक्री के प्रति अग्रिम शामिल हैं। ञअन्य आस्तियोंट में प्राप्य डिबेंचर अभिदान, दावा की गई आयकर वापसी, संस्था खाता तथा पीसीएआरडीबी से प्राप्य मीयादी जमाराशि शामिल हैं।

सारणी V.23: राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2008	2009अ	2008	2009अ
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	1,223 (4.9)	812 (3.2)	54.0	-33.5
2. आरक्षित निधियां	2,764 (11.2)	3,191 (12.6)	29.4	15.4
3. जमाराशियां	655 (2.6)	711 (2.8)	8.2	8.6
4. उधार	16,114 (65.1)	15,849 (62.4)	-3.3	-1.6
5. अन्य देयताएं	4,013 (16.2)	4,823 (19.0)	-3.0	20.2
आस्तियां				
1. नकदी और बैंक शेष	244 (1.0)	189 (0.7)	-12.6	-22.5
2. निवेश	2,545 (10.3)	2,941 (11.6)	32.8	15.6
3. उधार और अग्रिम	18,492 (74.7)	16,421 (64.7)	-0.8	-11.2
4. अन्य आस्तियां	3,487 (14.1)	5,836 (23.0)	-0.3	67.3
कुल देयताएं /आस्तियां	**24,768 (100.0)**	**25,386 (100.0)**	**1.8**	**2.5**

अ : अनंतिम।

टिप्पणी : 1) कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।
2) महाराष्ट्र राज्य के एससीएआरडीबी के आंकड़े 2007-08 से 2008-09 के लिए दोहराए गए है।
3) मणिपुर के राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का काम बंद हो गया है।

स्रोत : नाबार्ड ।

सारणी V.24: राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2007-08	2008-09अ	2007-08	2008-09अ
1	2	3	4	5
क. देयताएं (i+ii)	**1,824 (100.0)**	**3,009 (100.0)**	**-20.4**	**65.0**
i. ब्याज आय	1,685 (92.4)	2,774 (92.2)	-6.9	64.6
ii. अन्य आय	139 (7.6)	235 (7.8)	-71.3	69.1
ख. व्यय (i+ii+iii)	**2,067 (100.0)**	**2,961 (100.0)**	**-6.2**	**43.3**
i. व्यय किया गया ब्याज	1,283 (62.1)	1,330 (44.9)	0.2	3.7
ii. प्रावधान और आकस्मिक व्यय	561 (27.1)	1,391 (47.0)	-15.9	148.0
iii. परिचालन व्यय	223 (10.8)	240 (8.1)	-12.8	7.6
जिनमें से : वेतन बिल	164 (7.9)	194 (6.6)	-11.5	18.3
ग. लाभ				
i. परिचालन लाभ	318	1,439	-58.9	362.7
ii. निवल लाभ	-243	48	-	-
iii. आस्तियों पर प्रतिलाभ	-1.0	0.2		
iv. ईक्विटी पर प्रतिलाभ	-7.0	1.2		
v. निवल ब्याज मार्जिन	1.6	5.8		

अ : अनंतिम।

टिप्पणी : 1) कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।
2) महाराष्ट्र राज्य के एससीए आरडीबी के आंकड़े दुहराए गए हैं।
3) मणिपुर में एससीएआरडीबी का काम बंद हो गया हैं।

स्रोत : नाबार्ड ।

उन्होंने इस अवधि के दौरान उच्च आरओए और आरओई सूचित किया। 2008-09 के दौरान एससीएआरडीबी की ब्याज आय उच्चगति से बढ़ी, जिससे निवल ब्याज मार्जिन में वृद्धि हुई। उच्च निवल ब्याज मार्जिन के कारण, एससीएआरडीबी ने पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में उच्च परिचालन लाभ सूचित किए। हालांकि, प्रावधानों और आकस्मिक व्ययों में वृद्धि के कारण परिचालन लाभ में बढ़ोत्तरी की तुलना में निवल लाभों में वृद्धि कम हुई (सारणी V.24)।

एससीएआरडीबी की वित्तीय सुदृढ़ता

आस्ति गुणवत्ता

5.52 एससीएआरडीबी की आस्ति गुणवत्ता में पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में सुधार हुआ। उन्होंने पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में अनर्जक उधारों की कम राशियां सूचित कीं। एससीएआरडीबी के कुल उधार की तुलना में अनर्जक उधार अनुपात में भी इसी अवधि में गिरावट आई। कुल अनर्जक उधारों में अनर्जक उधारों की सभी श्रेणियों अर्थात अवमानक आस्तियों, संदिग्ध आस्तियों और हानि आस्तियों में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई। अनर्जक उधारों में से, पिछले वर्ष की तुलना में 2008-09 के दौरान हानि आस्तियों में सर्वाधिक गिरावट दर्ज हुई इसके पश्चात संदिग्ध आस्तियों और अवमानक आस्तियों का क्रम था (सारणी V.25)।

पूंजी पर्याप्तता

5.53 एससीएआरडीबी की पूंजी पर्याप्तता में पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में सुधार हुआ। जोखिम भारित

सारणी V.25 : राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2008	2009अ	2008	2009अ
1	2	3	4	5
क. कुल एनपीए (i+ii+iii)	**6,435**	**4,938**	**14.0**	**-23.3**
i) अवमानक	3,465 (53.8)	2,938 (59.5)	-19.7	-15.2
ii) संदिग्ध	2,761 (42.9)	1,965 (39.8)	110.8	-28.8
iii) हानि	209 (3.2)	35 (0.7)	1,093.7	-83.2
ख. उधार के प्रति एनपीए का अनुपात	**34.8**	**30.1**		
i) मांग की तुलना में वसूली (प्रतिशत)	49.9	40.0		
ii) अपेक्षित प्रावधान	1,465	1,217	13.9	-16.9
iii) किया गया प्रावधान	1,493	1,536	16.0	2.9
ग. सीआरएआर*	**19.0**	**20.7**		
घ.लिवरेज अनुपात	**16.1**	**15.8**		

अः अनंतिम

* : इसकी गणना 'निवेश और अग्रिम' के प्रति 'पूंजी और आरक्षित' के अनुपात के रूप में की गई है।

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।

स्रोत: नाबार्ड

आस्तियों के आंकड़े उपलब्ध नहीं होने के कारण निवेश और अग्रिम की तुलना में पूंजी और आरक्षित निधियों के अनुपात को पूंजी पर्याप्तता के मोटे संकेतक के रूप में लिया गया। यह अनुपात पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में बढ़ गया। यह सुधार मुख्य रूप से उधार और अग्रिमों में गिरावट के कारण था (सारणी V.25)।

प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

पीसीएआरडीबी का तुलनपत्र परिचालन

5.54 2008-09 के दौरान प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) के तुलनपत्र में विस्तार हुआ जबकि 2007-08 के दौरान इसमें कमी आई थी। देयता पक्ष में, तुलनपत्र में वृद्धि मुख्य रूप से उधारों और ''अन्य देयताओं'' में वृद्धि के कारण थी, जबकि आस्ति पक्ष में इसमें ''अन्य'' आस्तियों और उधार तथा अग्रिमों में वृद्धि के कारण थी[11]। एससीएआरडीबी की तरह पीसीएआरडीबी अपने संसाधनों के लिए उधारों पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं क्योंकि इन बैंकों का जमा संग्रहण बहुत कम होता है। तदनुसार, जमाराशियां पीसीएआरडीबी की कुल देयताओं का एक केवल छोटा प्रतिशत थी जबकि उधार मार्च 2009 के अंत में कुल देयताओं के लगभग आधा था (सारणी V.26)।

पीसीएआरडीबी का वित्तीय निष्पादन

5.55 पूर्व वर्ष की तरह, 2008-09 के दौरान पीसीएआरडीबी ने समग्र निवल हानियां सूचित कीं। हालांकि, निवल हानियां पिछले वर्ष

सारणी V.26 : प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2008	2009अ	2008	2009अ
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	894 (4.4)	1,515 (6.1)	-2.6	69.4
2. आरक्षित निधियाँ	3,036 (15.0)	3,493 (14.1)	13.4	15.0
3. जमा राशियाँ	340 (1.7)	400 (1.6)	-0.4	17.8
4. उधार राशियाँ	10,626 (52.5)	12,365 (49.8)	-16.7	16.4
5. अन्य देयताएँ	5,327 (26.4)	7,073 (28.5)	4.8	32.8
आस्तियां				
1. नकदी और शेष राशियाँ	127 (0.7)	236 (1.0)	-43.4	86.2
2. निवेश	879 (4.1)	1,122 (4.5)	6.8	27.6
3. ऋण और अग्रिम	9,914 (52.3)	11,269 (45.4)	18.2	13.7
4. अन्य आस्तियां	9,304 (42.9)	12,219 (49.2)	8.0	31.3
कुल देयताएं/आस्तियाँ	**20,224 (100.0)**	**24,846 (100.0)**	**-7.1**	**22.9**

अ : अनंतिम।

टिप्पणी : 1. कोष्ठक के आंकड़े कुल का प्रतिशत हैं।

2. वर्ष 2007-08 के लिए बिहार और हिमाचल प्रदेश के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

स्रोत : नाबार्ड।

[11] पीसीएआरडीबी की 'अन्य देयताओं' में 'पट्टा निधि', शेयर चुकौती निधि, देय लेखा-परीक्षा शुल्क, कृषि तथा ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1991 की अदावी राशि तथा भवनों की बिक्री के प्रति अग्रिम शामिल हैं। 'अन्य आस्तियों' में प्राप्य डिबेंचर अभिदान, दावा की गई आयकर वापसी, संस्था खाता शामिल हैं।

सारणी V.27: प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2008	2009अ	2008	2009अ
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	**1,566** (100.0)	**2,022** (100.0)	**-36.0**	**29.2**
i. ब्याज आय	1,366 (87.2)	1,431 (70.8)	-29.0	4.8
ii. अन्य आय	200 (12.8)	591 (29.2)	-61.8	195.8
ख. व्यय (i+ii+iii)	**1,926** (100.0)	**2,221** (100.0)	**-25.8**	**15.3**
i. व्यय किया गया ब्याज	990 (51.4)	1,217 (54.8)	21.3	22.9
ii. प्रावधान और आकस्मिक व्यय	622 (32.3)	545 (24.6)	-38.7	-12.3
iii. परिचालन व्यय	314 (16.3)	458 (20.6)	-2.2	46.0
जिसमें से, वेतन बिल	211 (10.9)	191 (8.6)	-4.7	-9.4
ग. लाभ				
i) परिचालन लाभ	262	347	-69.8	32.5
ii) निवल लाभ	-360	-199	144.2	-44.8

अ : अनंतिम।
टिप्पणी : 1. वर्ष 2007-08 के लिए बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरल और तमिलनाडु के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।
2. प. बंगाल और उड़ीसा में पीसीएआरडीसी के लिए आंकड़ों को दुहराया गया है।
स्रोत : नाबार्ड।

की तुलना में मार्च 2009 के अंत में घट गईं। यह उल्लेखनीय है कि पीसीएआरडीबी ने मार्च 2009 के अंत में समग्र परिचालन लाभ सूचित किए, लेकिन, प्रावधान अपेक्षा के कारण उन्होंने समग्र निवल हानियां सूचित कीं (सारणी V.27)।

पीसीएआरडीबी की वित्तीय सुदृढ़ता

आस्ति गुणवत्ता

5.56 मार्च 2009 के अंत में पीसीएआरडीबी की आस्ति गुणवत्ता में, तथा प्रतिशत दोनों रूपों में, पिछले साल की तुलना में सुधार हुआ। सभी श्रेणियों में अनर्जक उधारों की गिरावट की प्रवृत्ति देखी गयी। उल्लेखनीय तौर पर, संख्यात्मक रूप में सबसे अधिक गिरावट अवमानक उधारों के मामले में देखी गयी (सारणी V.28)।

सारणी V.28 : प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास की सुदृढ़ता के संकेतक

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2008	2009अ	2007-08	2008-09अ
1	2	3	4	5
देयताएं				
क. कुल एनपीए (i+ ii + iii)	**5,117**	**4,393**	18.5	-14.1
i) अवमानक	2,983 (58.3)	2,574 (58.6)	18.8	-13.7
ii) संदिग्ध	2,106 (41.2)	1,793 (40.8)	18.1	-14.8
iii) हानि	28 (0.5)	26 (0.6)	30.0	-7.8
ख. उधार के प्रति एनपीए का अनुपात	**51.6**	**39.0**		
i) मांग की तुलना में वसूली (%)	42.2	40.3		
ii) अपेक्षित प्रावधान	902	790	12.9	-12.4
iii) किया गया प्रावधान	948	892	18.6	-5.9
ग. सीआरएआर*	**36.4**	**40.4**		
घ.लीवरेज अनुपात	**19.4**	**20.2**		

अः अनंतिम
*: इसकी गणना 'निवेश और अग्रिम' के प्रति 'पूंजी और आरक्षित' के अनुपात के रूप में की गई है।
टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।
स्रोत: नाबार्ड

पूंजी पर्याप्तता

5.57 मार्च 2009 के अंत में पीसीएआरडीबी की पूंजी पर्याप्तता में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुआ। पूंजी पर्याप्तता के मोटे संकेतक अर्थात निवेश एवं अग्रिम की तुलना में पूंजी एवं आरक्षित निधियों के अनुपात में मार्च 2008 के अंत की तुलना में मार्च 2009 के अंत में वृद्धि हुई (सारणी V.28)।

ग्रामीण सहकारी संस्थाओं द्वारा वित्तीय समावेशन

5.58 ग्रामीण सहकारी क्षेत्र में चल रही जीर्णोद्धार योजना को अधिक गति से आगे बढ़ाने का सर्वाधिक उचित कारण औपचारिक वित्तीय नेटवर्क का, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, मौजूदा मूलभूत सुविधाओं की सहायता से विस्तार करने में इस क्षेत्र की अपार संभावना में छुपा है क्योंकि पीएसीएस की भू-भौगोलिक व्याप्ति बहुत दूर-दूर तक है। मार्च 2009 के अंत में देश में कार्यरत पीएसीएस की व्याप्ति लगभग छह लाख गांवों तक थी तथा इसके कुल सदस्यों की संख्या लगभग 13.2 मिलियन थी। सभी गांवों के बीच तथा छोटे जमाकर्ताओं/उधारकर्ताओं के बीच पीएसीएस की व्यापक पहुंच वित्तीय समावेशन के 100 प्रतिशत के उद्देश्य का अनुसरण करने में एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगी।

ग्रामीण सहकारी संस्थाओं का कर्ज़-जमा अनुपात

5.59 राज्य सहकारी बैंकों तथा जिला मध्यवर्ती बैंकों का कर्ज़-जमा अनुपात शहरी सहकारी बैंकों एवं अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की तुलना में बहुत अधिक था, हालांकि पिछले साल की तुलना में 2009 में इसमें गिरावट आयी। ऊपरी स्तर की इन संस्थाओं के उच्चतर कर्ज़-जमा अनुपात का निहितार्थ है पीएसीएस[12] के लिए निधियों की व्यापक उपलब्धता (सारणी V.29)।

5.60 एससीएआरडीबी तथा पीसीएआरडीबी जैसी दीर्घावधि कर्ज सहकारी संस्थाओं की जमाराशियां उनके उधार की तुलना में बहुत कम थीं। यह इस बात का संकेत है कि दीर्घावधि सहकारी कर्ज़ संबंधी संस्थाओं को उनके जमा संग्रहण संबंधी प्रयासों को सुधारने की जरूरत है। इससे एक ओर इन संस्थाओं को अपना संसाधन आधार विशाखीकृत करने में मदद मिलेगी तथा दूसरी ओर अधिक संख्या में जमाकर्ता औपचारिक वित्तीय नेटवर्क के तहत आएंगे।

ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की पहुंच

5.61 ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के अल्पावधि ढांचे में राज्य सहकारी बैंकों जैसा शीर्ष संगठन ग्रामीण सहकारिता क्षेत्र के निचले स्तर की ग्रामीण सहकारी संस्थाओं को निधियां प्रदान कर वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रामीण सहकारिता क्षेत्र के निचले स्तर की संस्थाओं को निधियां प्रदान करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक राज्य सहकारी बैंक होता है। भले ही राज्य सहकारी बैंकों ने अधिकांश राज्यों में समग्र लाभ सूचित किया है, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में राज्य सहकारी बैंकों की खराब आस्ति गुणवत्ता चिंता का विषय है, जिससे वित्तीय समावेशन बढ़ाने संबंधी ग्रामीण सहकारिता क्षेत्र के समग्र प्रयास पर असर पड़ सकता है (परिशिष्ट सारणी V.3)।

सारणी V.29 : एसटीसीबी और डीसीसीबी का कर्ज-जमाराशि अनुपात

(प्रतिशत)

	एसटीसीबी	डीसीसीबी
1	2	3
2008	88.8	92.4
2009 अ	70.0	77.9

अ : अनंतिम

5.62 ग्रामीण सहकारिता क्षेत्र का दूसरा स्तर अर्थात जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की मौजूदगी, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर, देश के सभी क्षेत्रों में है। ये बैंक मार्च 2009 के अंत की स्थिति में देश के मध्यवर्ती क्षेत्र में संकेंद्रित थे। उल्लेखनीय तौर पर इनमें से अधिकांश ने मार्च 2009 के अंत में समग्र लाभ सूचित किया। इसके विपरीत, आधार स्तर की संस्थाएं अर्थात पीएसीएस पश्चिमी क्षेत्र में संकेंद्रित थीं। मार्च 2009 के अंत की स्थिति के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर प्रति पीएसीएस गांवों की औसत संख्या 6 थी। तथापि, कुछ क्षेत्रों अर्थात मध्यवर्ती, पूर्वी, उत्तर-पूर्वी तथा उत्तरी क्षेत्रों में यह संख्या बहुत अधिक थी। मध्यवर्ती क्षेत्र में प्रति पीएसीएस गांवों की औसत संख्या 12 थी, जो राष्ट्रीय औसत का दुगुना है (परिशिष्ट सारणी V.4 तथा V.5)।

5.63 एससीएआरडीबी की शाखाएं भी मध्यवर्ती क्षेत्र में संकेंद्रित थीं। यद्यपि, अखिल भारतीय स्तर पर उन्होंने समग्र निवल लाभ सूचित किया, तथापि कई राज्यों में ये बैंक हानि उठा रहे थे। इसके विपरीत, दीर्घावधि ढांचे में निचले स्तर की संस्थाएं अर्थात पीसीएआरडीबी दक्षिणी क्षेत्र में संकेंद्रित थीं, जिसके बाद उत्तरी क्षेत्र का स्थान था (परिशिष्ट सारणी V.6 तथा V.7)।

ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं का प्रति शाखा कारोबार

5.64 ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के बीच (पीएसीएस को छोड़कर), पूरे देश में शाखाओं की अधिकतम संख्या डीसीसीबी की थी। तथापि, प्रति शाखा कारोबार राज्य सहकारी बैंकों में सर्वाधिक था। पीसीएआरडीबी द्वारा किया गया प्रति शाखा कारोबार अन्य ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं की तुलना में बहुत कम था। इस प्रकार शाखाओं की संख्या तथा प्रति शाखा बैंकिंग कारोबार की मात्रा के रूप में अल्पावधि सहकारी ऋण संस्थाएं उनके दीर्घावधि प्रतिपक्षकारों

[12] पीएसी अपने संसाधनों के लिए जमाराशियों की अपेक्षा उधारियों पर अधिक निर्भर थे।

सारणी V.30 : ग्रामीण सहकारी बैंकों का प्रति शाखा कारोबार
(मार्च 2009 के अंत में)

(करोड़ रु.)

श्रेणी	बैंकों की संख्या	शाखाओं की संख्या	प्रति शाखा कारोबार
1	2	3	4
राज्य सहकारी बैंक	31	943	123.8
जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक	370	12,939	17.5
राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	20	844	20.3
प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	697	1,227	9.5

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत : नाबार्ड

की तुलना में काफी आगे थीं जो वित्तीय समावेशन में अल्पावधि ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं की उच्चतर भूमिका को इंगित करता है (सारणी V.30)।

वित्तीय समावेशन में पीएसीएस की भूमिका - कुछ उभरते हुए मुद्दे

5.65 वर्षों दौरान यद्यपि देश के भौगोलिक क्षेत्र में पीएसीएस का नेटवर्क बढ़ गया, परंतु कुछ रह गई कमजोरियां इस क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय मध्यस्थता के रूप में कम प्रभावी बना रही हैं (बॉक्स V.4)।

4. ग्रामीण कर्ज़ में नाबार्ड की भूमिका

5.66 ग्रामीण कर्ज़ के क्षेत्र में नाबार्ड शीर्ष संस्था है तथा इस तरह यह 1982 में अपनी शुरुआत से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कर्ज़ का प्रवाह बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ग्रामीण उधार संस्थाओं यथा आरआरबी एवं सहकारी कर्ज़ संस्थाओं के पुनर्वित्तीयन में और इन संस्थाओं के पुनःपूंजीकरण में इसकी सक्रिय भूमिका रही है। साथ ही, नाबार्ड को ग्रामीण सहकारी कर्ज़ संस्थाओं के पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कर्ज के प्रवाह में सुधार लाने की विशेष योजनाएं अर्थात ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि (आरआइडीएफ) तथा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) भी नाबार्ड को सौंपी गयी हैं।

नाबार्ड द्वारा दिया गया अल्पावधि कर्ज़

5.67 नाबार्ड विभिन्न संगठनों अर्थात राज्य सहकारी बैंकों, आरआरबी तथा राज्य सरकारों को अल्पावधि, मध्यावधि तथा दीर्घावधि कर्ज़ संबंधी सुविधाएं प्रदान करता है[13]। मार्च 2010 के अंत की स्थिति के अनुसार, विभिन्न संगठनों को नाबार्ड द्वारा प्रदान किए गए कुल कर्ज़ में मार्च 2009 के अंत की तुलना में काफी वृद्धि देखी गयी। जहां नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंकों और आरआरबी को प्रदान किए गए कर्ज़ में पिछले साल की तुलना में 2009-10 में समग्र वृद्धि हुई, वहीं राज्य सरकारों को दिए गए कर्ज़ में इस अवधि के दौरान समग्र गिरावट दर्ज की गयी। मार्च 2010 के अंत में नाबार्ड से कुल बकाया कर्ज़ में से, राज्य सहकारी बैंकों का हिस्सा अधिकतम था, जिसके बाद आरआरबी और राज्य सरकारों का स्थान था (सारणी V.31)।

ग्रामीण सहकारी कर्ज़ संस्थाओं को पुनर्जीवित करने में नाबार्ड की भूमिका

अल्पावधि ढांचे को पुनर्जीवित करना - अद्यतन स्थिति

5.68 वैद्यनाथन समिति (ग्रामीण सहकारी कर्ज़ संस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए गठित कार्यबल) की रिपोर्ट के आधार पर ग्रामीण सहकारी कर्ज़ संस्थाओं के लिए तैयार किए गए अनुमोदित पुनर्जीवन पैकेज को कार्यान्वित किया जा रहा है। भारत सरकार ने राज्य स्तर पर पुनर्जीवन पैकेज कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु बहुपक्षीय एजेंसियों यथा विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक तथा केएफडब्ल्यू (क्रेडिटन्स्टाल्ट फर वीडरौफबउ) के साथ करार किया है। राष्ट्रीय कार्यान्वयन एवं निगरानी समिति (एनआइएमसी) का गठन राष्ट्र स्तर पर उक्त पैकेज के कार्यान्वयन

[13] अल्पावधि कर्ज़ की आपूर्ति मुख्य रू प से मौसमी कृषि कार्यों, फसल के विपणन, सहकारी बुनकर समितियों के उत्पादन, खरीद एवं विपणन संबंधी कार्यकलापों के लिए की जाती है। जहां मध्यावधि कर्ज़ की आपूर्ति अन्य अनुमोदित कृषि प्रयोजनों के वित्तपोषण के लिए एवं अल्पावधि उधार को मध्यावधि उधार में परिवर्तित करने के लिए की जाती है, वहीं दीर्घावधि कर्ज़ की आपूर्ति राज्य सरकारों को सहकारी कर्ज़ संस्थाओं की शेयर पूंजी में अंशदान करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए की जाती है।

बॉक्स V.4: भारत में प्राथमिक कृषि कर्ज समितियों (पीएसीएस) के कार्यकलाप- कुछ कमजोरियां

देश भर में प्राथमिक कृषि कर्ज समितियों का व्यापक नेटवर्क होने के बावजूद इस क्षेत्र की अपनी कुछ कमजोरियां हैं जिनके कारण यह क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में औपचारिक वित्तीय माध्यम के रू प में कम प्रभावी रहा है। पहली दृष्टि में, प्राथमिक कृषि कर्ज समितियों के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी करने की जरू रत है क्योंकि केवल सदस्य ही इससे उधार ले सकते हैं। मार्च 2009 के अंत में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति प्राथमिक कृषि कर्ज समिति सदस्यों की संख्या 1,384 थी। इसके अलावा, दक्षिणी क्षेत्र की तुलना में उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तर पूर्वी एवं मध्य क्षेत्रों में सदस्यों की संख्या कम थी। उसी प्रकार, केवल 34.9 प्रतिशत सदस्यों ने समिति से उधार लिया था। दक्षिणी क्षेत्र की तुलना में, अन्य क्षेत्रों में उधारकर्ताओं की संख्या तुलनात्मक रूप से कम थी। इसके अलावा, प्राथमिक कृषि कर्ज समिति के केवल 19.1 प्रतिशत उधारकर्ता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे किसान तथा ग्रामीण कारीगर थे।

प्राथमिक कृषि कर्ज समितियों द्वारा किया गया बैंकिंग का कारोबार दक्षिण क्षेत्र तक सीमित था। उगाही गई कुल जमाराशियों में दक्षिणी क्षेत्र की प्राथमिक कृषि कर्ज समितियों का हिस्सा अखिल भारतीय स्तर पर सबसे अधिक था। इसी प्रकार, मार्च 2009 के अंत में, दक्षिणी क्षेत्र की प्राथमिक कृषि कर्ज समितियों द्वारा दिए गए उधारों तथा अग्रिमों का हिस्सा सबसे अधिक था। इस तरह यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि पश्चिमी क्षेत्र में प्राथमिक कृषि कर्ज समितियों की संख्या तथा प्रति समिति गांवों की संख्या सबसे कम थी वहीं दक्षिणी क्षेत्र की समितियों के पास बैंकिंग कारोबार की राशि सबसे अधिक थी। इसके विपरीत, मार्च 2009 के अंत में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की समितियों द्वारा किए गए बैंकिंग कारोबार की मात्रा अत्यधिक कम थी। इस क्षेत्र में संग्रह की गई प्रति समिति जमाराशि 2 लाख रुपए थी तथा दिए गए औसत ऋण की राशि प्रति समिति एक लाख रुपए थी (चार्ट देखें)।

इसके अलावा, यह देखा गया है कि हानि वाली प्राथमिक कृषि कर्ज समितियों में से 37.4 प्रतिशत समितियां पश्चिमी क्षेत्र की थीं उसके बाद पूर्वी क्षेत्र (23.4 प्रतिशत) का क्रम था। दूसरी ओर, लाभ कमाने वाली समितियां विभिन्न क्षेत्रों में थीं अर्थात् पश्चिमी क्षेत्र में 29.8 प्रतिशत, उत्तरी क्षेत्र में 22.2 प्रतिशत तथा केंद्रीय क्षेत्र में 19.9 प्रतिशत समितियां लाभ कमाने वाली थीं। इसके अलावा, पीएसीएस की कुल अतिदेय राशियों में से, 61.2 प्रतिशत पश्चिमी खेल का था। तथापि, मार्च 2009 के अंत में पश्चिमी क्षेत्र की 68.0 प्रतिशत समितियों तथा पूर्वी क्षेत्र की 76.3 प्रतिशत समितियों को अर्थक्षम समितियों के रूप में वर्गीकृत किया गया (सारणी देखें)।

इसमें संदेह नहीं है कि प्राथमिक कृषि कर्ज समितियों के भौगोलिक विस्तार को देखते हुए वित्तीय समावेशन को बढ़ाने हेतु इनका उपयोग किया जा सकता है। तथापि, इस क्षेत्र के निष्पादन में सुधार लाने हेतु प्रयास किए जाने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने का प्रयास भी किया जाना चाहिए कि इनकी उपस्थिति देश के विभिन्न क्षेत्रों में हो। इस संदर्भ में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्राथमिक कृषि कर्ज समितियों का विस्तार करना जरूरी है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्राथमिक कृषि कर्ज समितियों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ इस क्षेत्र में प्रति समिति बैंकिंग कारोबार बढ़ाने के लिए भी उपाय किए जाने चाहिए। भारी संख्या में पश्चिमी क्षेत्र की हानि वाली प्राथमिक कृषि कर्ज समितियों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने हेतु विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, पश्चिमी तथा मध्य क्षेत्र की प्राथमिक कृषि कर्ज समितियों के जमाराशि संग्रहण का स्तर अत्यधिक कम है जिस पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, प्राथमिक कृषि कर्ज समितियों की सदस्यता संख्या में उल्लेखनीय रू प से वृद्धि की जानी चाहिए। तथापि, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा प्राथमिक कृषि कर्ज समितियों की अतिदेय राशि में कमी लाने का है क्योंकि इससे इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार, विद्यमान क्षेत्रीय असंतुलनों को ठीक करने के साथ-साथ प्राथमिक कृषि कर्ज समितियों की वित्तीय हालत में बेहतरी हेतु पर्याप्त सुधार करके ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे जमाकर्ताओं/उधारकर्ताओं की भारी संख्या को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत लाया जा सकेगा और इस प्रकार वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में बेहतरी आएगी।

सारणी: प्राथमिक कृषि कर्ज समितियों (प्रा.कृ.क.स.) का क्षेत्रीय विस्तार

(मार्च 2009 के अंत में)

क्षेत्र	प्रा.कृ.क.स. की कुल संख्या	प्रति प्रा.कृ.क.स. गांवों की संख्या	लाभ कमाने वाली प्रा.कृ.क.स. की संख्या	हानि वाली प्रा.कृ.क.स. की संख्या
1	2	3	4	5
मध्य	15,938	12	7,412	5,338
पूर्वी	20,308	9	4,933	10,749
उत्तर-पूर्वी	3,579	9	564	1,075
उत्तरी	12,738	8	8,267	3,515
दक्षिणी	13,744	6	4,989	8,040
पश्चिमी	29,326	1	11,126	17,152
कुल	**95,633**	**6**	**37,291**	**45,869**

टिप्पणी: 1) 12,473 प्रा.कृ.क.समितियां न लाभ कमाने वाली न हानि वाली समितियों के रू प में वर्गीकृत हैं।
2) आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत: एनएएफएससीओबी।

चार्ट: मार्च 2009 के अंत में प्राथमिक कृषि कर्ज समितियों (प्रा.कृ.क.स.) का क्षेत्रवार विवरण

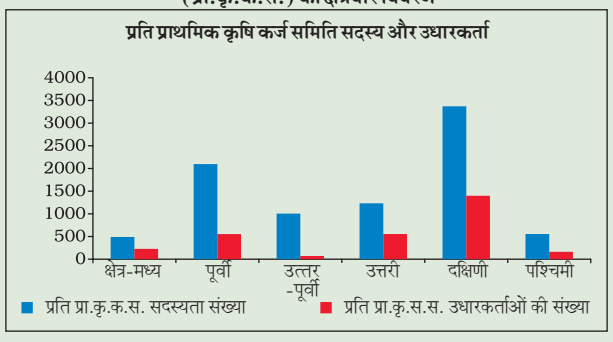

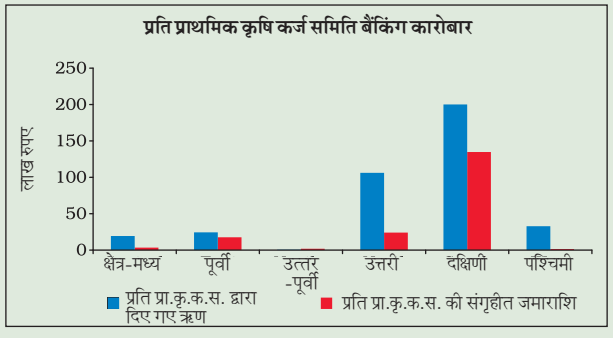

सारणी V.31: राज्य सहकारी बैंकों, राज्य सरकारों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नाबार्ड का कर्ज

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2008-09				2009-10			
	सीमा	आहरण	चुकौती	बकाया	सीमा	आहरण	चुकौती	बकाया
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. राज्य सहकारी बैंक (क+ख)	**20,133**	**17,778**	**17,858**	**15,704**	**18,287**	**18,680**	**17,215**	**17,169**
क. अल्पावधि	20,053	17,778	16,636	15,638	18,287	18,680	17,149	17,169
ख. मध्यावधि	80	-	1,222	66	66*	-	66	-
2. राज्य सरकारें								
क. दीर्घावधि	-	18	56	252	-	-	53	199
3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (क+ख)	**4,829**	**4,061**	**3,914**	**3,803**	**7,374**	**7,091**	**3,969**	**6,924**
क. अल्पावधि	4,829	4,061	3,291	3,656	7,374	7,091	3,842	6,904
ख. मध्यावधि	-	-	623	147	-	-	127	20
कुल जोड़ (1+2+3)	**24,962**	**21,858**	**21,828**	**19,759**	**25,661**	**25,771**	**21,238**	**24,292**

* यह स्वीकृति बाद में वापस ले ली गयी है। '-': शून्य

टिप्पणी: 1) अल्पावधि में मौसमी कृषि कार्य (एसएओ) और मौसमी कृषि कार्यों से इतर अन्य कार्य (ओएसएओ) शामिल हैं। 2008-09 के लिए अल्पावधि में खरीफ और रबी के लिए चलनिधि सहायता योजना भी शामिल है।

2) राज्य सहकारी बैंकों और राज्य सरकारों के लिए ऋण की अवधि अप्रैल से मार्च है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए जुलाई से जून है।

3) मध्यावधि में एमटी कनर्वशन और एमटी (एनएस) और एमटी चलनिधि सहयता योजना शामिल है।

4) 2009-10 के दौरान की गई चुकौतियों में एसटी (एसएओ) खाता III और रबी के लिए चलनिधि सहायता के अंतर्गत चुकौती शामिल है।

स्रोत : नाबार्ड।

को मार्गदर्शन देने एवं उस पर निगरानी रखने के लिए किया गया है। राज्य स्तर पर, राज्यस्तरीय कार्यान्वयन एवं निगरानी समिति तथा जिला स्तर पर डीसीसीबी स्तरीय कार्यान्वयन एवं निगरानी समितियां इस दिशा में हुई प्रगति पर निगरानी रख रही हैं। नाबार्ड के स्तर पर इसके लिए समय-समय पर कार्यान्वयन करने वाले राज्यों के क्षेत्रीय कार्यालयों की समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

5.69 अब तक, 25 राज्य सरकारों (गोवा, हिमाचल प्रदेश तथा केरल को छोड़कर) ने भारत सरकार तथा नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें देश में स्थित अल्पावधि ग्रामीण सहकारी कर्ज़ इकाइयों के 96 प्रतिशत को कवर किया गया है। इसके अलावा, 14 राज्यों में 49,764 पीएसीएस के पुनःपूंजीकरण के लिए भारत सरकार के हिस्से के रूप में नाबार्ड द्वारा 7,972 करोड़ रुपए की राशि जारी की गयी है, जबकि राज्य सरकारों ने अपने हिस्से के रूप में 756 करोड़ रुपए जारी किए हैं। विधायी प्रक्रिया के माध्यम से 15 राज्यों में राज्य सहकारी समिति अधिनियम को संशोधित किया गया है।

5.70 साथ ही, राज्य सहकारी बैंकों एवं मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की सांविधिक लेखा-परीक्षा करने के लिए नाबार्ड ने हाल के वर्षों में 13 राज्यों को सनदी लेखाकारों का एक पैनल उपलब्ध कराया है। 31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार लेखा-परीक्षा की प्रक्रिया 12 राज्यों में पूरी हो चुकी है। शेष राज्यों में लेखा-परीक्षा की प्रक्रिया अलग-अलग चरणों में है। साथ ही, सभी राज्यों में कई बैंकों में उपयुक्त एवं उचित मानदण्डों के अनुसार पेशेवर निदेशकों तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की तैनाती की गई है। 11 राज्यों में लगभग सभी पीएसीएस में 1 अप्रैल 2009 से सामान्य लेखांकन प्रणाली (सीएएस) लागू की गयी। दो अलग-अलग मोड्यूल में पीएसीएस के लिए सीएएस तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली एमआइएस के कम्प्यूटरीकरण संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए, जिसका कार्यान्वयन 3 राज्यों में किया जा रहा है। एनआइएमसी के निर्णय के अनुसार पीएसएस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोर सॉफ्टवेयर का विकास करने का निर्णय लिया गया है।

मानव संसाधन विकास - प्रशिक्षण

5.71 नाबार्ड द्वारा एसटीसीसीएस के पदाधिकारियों तथा पीएसीएस/सीसीबी/ एसटीसीबी के बोर्ड के निदेशकों के लिए प्रशिक्षण के आठ मॉड्यूल विकसित किए गए हैं। कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु नोडल प्रशिक्षण पार्टनरों की नियुक्ति की गई है तथा प्रमुख प्रशिक्षणदाता की पहचान करके उन्हें नाबार्ड के प्रशिक्षण संस्थानों में

प्रशिक्षित किया गया है। 31 मार्च 2010 को 1896 जिला स्तरीय प्रशिक्षकों द्वारा 14 राज्यों के 72,127 पीएसीएस सचिवों तथा 11 राज्यों के पीएसीएस के 99,219 निर्वाचित सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा, 17 राज्यों के 3,471 विभागीय लेखा-परीक्षकों तथा पर्यवेक्षकों को आगे सही ढंग से सहायता पहुंचाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है ताकि सीएएस/एमआइएस को जमीनी स्तर पर सुस्थिर किया जा सके। इसके अलावा, 15 राज्यों के 61,619 पदाधिकारियों को सीएएस/एमआइएस का प्रशिक्षण दिया गया है।

दीर्घावधि ढांचे का पुनर्जीवन - अद्यतन स्थिति

5.72 भारत सरकार ने एलटीसीसी के लिए पुनर्जीवन पैकेज की आवश्यकता की समीक्षा हेतु दीर्घावधि सहकारी कर्ज़ संस्थाओं (एलटीसीसी) पर एक कार्यदल का गठन किया। एलटीसीसी के लिए पुनर्जीवन पैकेज की जरूरत के बारे में कार्यदल ने कई राज्य सरकारों के साथ चर्चा की है। उक्त कार्यदल ने 25 फरवरी 2010 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जो विचाराधीन है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कर्ज़ का प्रवाह सुधारने के लिए नाबार्ड को सौंपी गयी योजनाएं

ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि (आरआइडीएफ)

5.73 आरआइडीएफ ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास के लिए कर्ज़ का प्रवाह बढ़ाने हेतु भारत सरकार द्वारा नाबार्ड को सौंपी गयी एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण योजना है। उक्त निधि की स्थापना 2,000 करोड़ रुपए की मूल राशि के साथ 1995 में की गयी। भारत सरकार के अंशदान के अलावा, आरआइडीएफ को वाणिज्य बैंकों से भी उनके कृषि उधार में पायी गयी कमी की मात्रा तक जमाराशियां प्राप्त होती हैं। मार्च 2010 के अंत की स्थिति के अनुसार, भारत सरकार तथा जमाराशि दोनों के जरिए आरंभ से आरआइडीएफ द्वारा प्राप्त कुल निधियों में, आधे से अधिक भारत सरकार से अंशदान के रूप में प्राप्त हुआ। अब तक प्राप्त कुल निधियों में से, आरआइडीएफ ने अब तक कुल राशि का दो तिहाई ऋण के रूप में स्वीकृत किया है। तथापि, स्वीकृत उधार की तुलना में संवितरित उधार के प्रतिशत में शृंखला XI से गिरावट की प्रवृत्ति देखी गयी है। आरआइडीएफ से निधियों के संवितरण में आयी गिरावट का मुख्य कारण भूमि के अभिग्रहण, सांविधिक अनुमोदन तथा निविदा संबंधी प्रक्रिया में राज्य सरकारों द्वारा प्रशासनिक एवं तकनीकी अनुमोदन में की गयी प्रक्रियागत देरी था। इन क्रियाविधियों को युक्तियुक्त बनाने के प्रयास राज्य सरकारों द्वारा पहले से शुरू कर दिए गए हैं (सारणी V.32 तथा चार्ट V.10)।

5.74 भारत सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए की मूल राशि से *भारत निर्माण कार्यक्रम* के लिए 2006 में आरआइडीएफ के तहत एक अलग पटल खोल दिया। अब तक प्राप्त कुल निधियों में से, आरआइडीएफ के उक्त पटल से आधे से अधिक राशि स्वीकृत एवं संवितरित की गयी। उल्लेखनीय तौर पर, उधार की स्वीकृत राशि को संवितरित करने में इस पटल के तहत कोई देरी नहीं देखी गयी है (सारणी V.32)।

5.75 आरआइडीएफ के तहत अब तक स्वीकृत कुल उधार में से, प्रमुख हिस्सा सड़क एवं पुल निर्माण के लिए खर्च किया गया, जिसके बाद ग्रामीण सिंचाई कार्यक्रमों का स्थान था। उल्लेखनीय तौर पर, 10 प्रतिशत से अधिक उधार राशि सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास में अर्थात पीने के पानी, प्राथमिक विद्यालय, सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा आंगनवाड़ी केन्द्र के विकास में लगायी गयी।

5.76 अब तक आरआइडीएफ के तहत स्वीकृत एवं संवितरित कुल राशि में से, आधे से अधिक उत्तरी क्षेत्र तथा दक्षिणी क्षेत्र के लिए थी। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को कुल स्वीकृत उधार का मात्र 5.1 प्रतिशत तथा कुल संवितरित उधार का 4.0 प्रतिशत प्राप्त हुआ। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र ने सभी क्षेत्रों के बीच स्वीकृत उधार के प्रति संवितरित उधार का न्यूनतम अनुपात भी सूचित किया। राज्यवार रूपरेखा से यह पता चलता है कि स्वीकृत एवं वितरित उधार का अधिकतक हिस्सा आंध्रप्रदेश को मिला, जिसके बाद गुजरात एवं मध्यप्रदेश का स्थान था (परिशिष्ट सारणी V.8)।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी)

5.77 वित्तीय समावेशन को अधिक वितस्तार देने के लिए नब्बे के दशक के उत्तरार्ध में केसीसी योजना कार्यान्वित की गई जिसके

सारणी V.32: आरआइडीएफ का श्रृंखला-वार विवरण

(मार्च 2010 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

ट्रांस	श्रृंखला का प्रारंभ	परियोजनाओं की संख्या	कोष* (करोड़ रुपए)	प्राप्त जमाराशियाँ (करोड़ रुपए)	स्वीकृत ऋण (करोड़ रुपए)	वितरित ऋण (करोड़ रुपए)	स्वीकृत ऋण पर वितरित ऋण का प्रतिशत
1	2	3	4	5	7	8	9
I	1995	4,168	2,000	1,587	1,906	1,761	92.4
II	1996	8,193	2,500	2,225	2,636	2,398	91.0
III	1997	14,345	2,500	2,308	2,733	2,454	89.8
IV	1998	6,171	3,000	1,413	2,903	2,482	85.5
V	1999	12,106	3,500	3,052	3,435	3,055	88.9
VI	2000	43,168	4,500	4,081	4,489	4,071	90.7
VII	2001	24,598	5,000	4,074	4,582	4,053	88.5
VIII	2002	20,887	5,500	5,188	5,950	5,149	86.5
IX	2003	19,548	5,500	4,873	5,638	4,916	87.2
X	2004	16,530	8,000	6,420	7,672	6,489	84.6
XI	2005	29,771	8,000	6,421	8,320	6,605	79.4
XII	2006	41,955	10,000	7,775	10,411	7,280	69.9
XIII	2007	36,890	12,000	7,835	12,706	7,601	59.8
XIV	2008	85,465	14,000	6,442	14,708	6,653	45.2
XV	2009	39,015	14,000	4,228	15,630	3,474	22.2
Total		**4,02,810**	**1,00,000**	**67,921**	**1,03,718**	**68,440**	**66.0**
			भारत निर्माण कार्यक्रम का अलग गवाक्ष				
XII	2006	-	4,000	3,946	4,000	4,000	100.0
XIII	2007	-	4,000	3,416	4,000	4,000	100.0
XIV	2008	-	4,000	3,817	4,000	4,000	100.0
XV	2009	-	6,500	3,626	6,500	6,500	100.0
कुल		**-**	**18,500**	**14,805**	**18,500**	**18,500**	**100.0**
सकल कुल		**4,02,810**	**1,18,500**	**82,725**	**1,22,218**	**86,940**	**71.1**

'-': शून्य / अनुपलब्ध *: भारत सरकार से प्राप्त
स्रोत : नाबार्ड

चार्ट V.10: आरआइडीएफ की कुल निधियों के प्रतिशत के रूप में स्वीकृत तथा संवितरित उधार

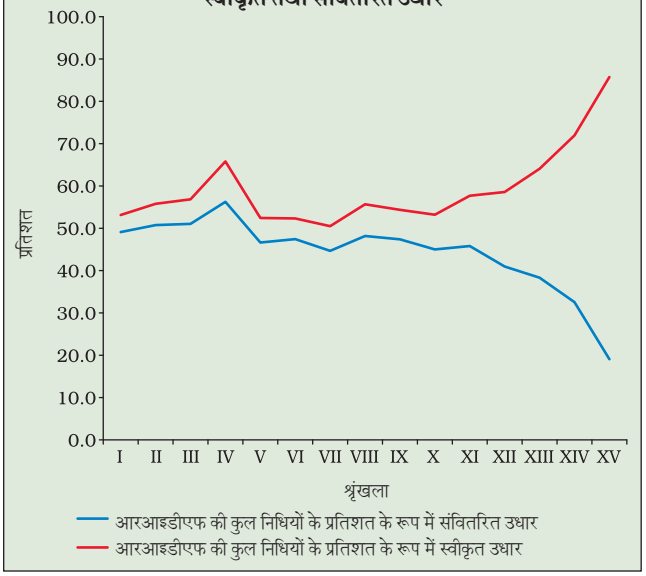

लिए किसानों की पहुंच को आसान बनाया गया। मार्च 2010 के अंत में, इस योजना के तहत जारी कार्डों की कुल संख्या तथा उधार की स्वीकृत राशि में पिछले साल की तुलना में वृद्धि देखी गयी। प्रति कार्ड धारक स्वीकृत उधार की औसत राशि में पिछले दो सालों को छोड़कर इसकी शुरुआत में ही निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गयी (सारणी V.33)।

5.78 योजना के अंतर्गत उसके आरंभ के समय से जारी किए गए कुल केसीसी तथा कुल स्वीकृत राशि में से अधिकतम हिस्सा वाणिज्य बैंकों का था, जिसके बाद सहकारी बैंकों का स्थान था। तथापि, सहकारी बैंकों द्वारा जारी किए गए कार्डों की संख्या में 2001-02 से गिरावट की प्रवृत्ति देखी गयी, जबकि वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किए गए केसीसी की संख्या में में कमोबेश वृद्धि की प्रवृत्ति

सारणी V.33: जारी किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या : एजेंसीवार और वर्षवार
(मार्च 2010 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष	सहकारी बैंक		क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक		वाणिज्य बैंक		कुल	
	कार्डों की संख्या	राशि	कार्डों की संख्या	राशि	कार्डों की संख्या	राशि	कार्डों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1998-99	1,55,353	826	6,421	11	6,22,391	1,473	7,84,165	2,310
1999-00	35,94,869	3,606	1,73,301	405	13,65,911	3,537	51,34,081	7,548
2000-01	56,14,445	9,412	6,48,324	1,400	23,89,588	5,615	86,52,357	16,427
2001-02	54,35,859	15,952	8,33,629	2,382	30,71,046	7,524	93,40,534	25,858
2002-03	45,78,923	15,841	9,63,950	2,955	26,99,883	7,481	82,42,756	26,277
2003-04	48,78,236	9,855	12,74,289	2,599	30,94,108	9,331	92,46,633	21,785
2004-05	35,55,783	15,597	17,29,027	3,833	43,95,564	14,756	96,80,374	34,186
2005-06	25,98,226	20,339	12,49,474	8,483	41,64,551	18,779	80,12,251	47,601
2006-07	22,97,640	13,141	14,05,874	7,373	48,07,964	26,215	85,11,478	46,729
2007-08	20,91,329	19,991	17,72,498	8,743	46,05,775	59,530	84,69,602	88,264
2008-09	13,43,845	8,428	14,14,647	5,648	58,33,981	39,009	85,92,473	53,085
2009-10	17,43,253	7,606	19,49,785	10,132	53,13,085	38,684	90,06,123	56,422
कुल	3,78,87,761	1,40,594	1,34,21,219	53,964	4,23,63,847	2,31,934	9,36,72,827	4,26,492
कुल में प्रतिशत	40.4	33.0	14.4	12.7	45.3	54.4	100.0	100.0

स्रोत : नाबार्ड

थी। फलस्वरूप, केसीसी योजना के तहत कुल स्वीकृत राशि में सहकारी बैंकों के हिस्से में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गयी (चार्ट V.11)।

5.79 मार्च 2010 के अंत में जारी किए गए केसीसी की अधिकतम संख्या उत्तर प्रदेश में थी, जिसके बाद आंध्रप्रदेश का स्थान था। इस प्रकार, अब तक जारी किए गए कुल केसीसी का एक तिहाई हिस्सा इन दो राज्यों का था। इसी तरह मार्च 2010 के अंत में केसीसी योजना के तहत स्वीकृत उधार का अधिकतम हिस्सा उत्तर प्रदेश का था जिसके बाद महाराष्ट्र का स्थान था। तथापि, मार्च 2010 के अंत में, प्रति केसीसी स्वीकृत उधार की औसत राशि गुजरात में सर्वाधिक थी, जिसके बाद पंजाब का स्थान था। उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा अन्य पहाड़ी राज्यों में, जारी केसीसी की संख्या

चार्ट V.11 : जारी किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या में बैंक समूहों का हिस्सा और किसान क्रेडिट कार्डों के अंतर्गत स्वीकृत राशि

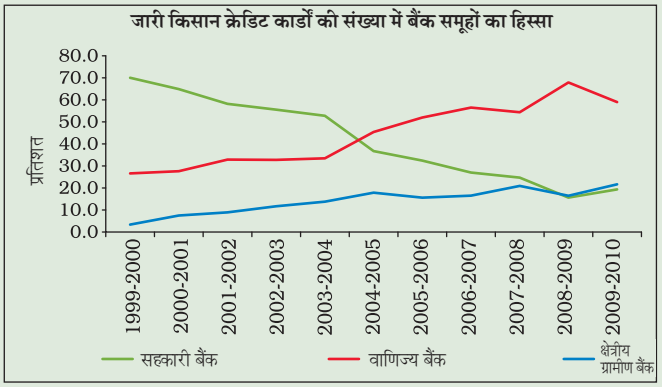

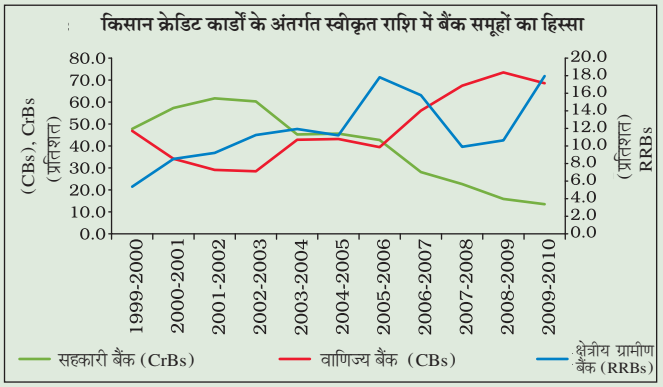

तथा स्वीकृत उधार राशि मार्च 2010 के अंत में शेष राज्यों की तुलना में बहुत कम थी (परिशिष्ट सारणी V.9)।

5. निष्कर्ष

5.80 यद्यपि, भारत में बैंकिंग प्रणाली द्वारा किए गए कुल कारोबार में सहकारी बैंकों का एक छोटा अनुपात है, तथापि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में उनकी संभाव्य भूमिका तथा शेष वित्तीय प्रणाली के साथ इन संस्थाओं की वित्तीय अंतर-संबद्धता के कारण भारतीय वित्तीय जगत में इनका महत्वपूर्ण स्थान है।

5.81 यूसीबी क्षेत्र में समेकन संबंधी चल रहे पहलों के फलस्वरूप यूसीबी की रूपरेखा में वित्तीय रूप से सुदृढ़ बैंकों के पक्ष में बदलाव देखा गया। यूसीबी क्षेत्र ने मार्च 2010 के अंत में समग्र निवल लाभ सूचित किया। तथापि, वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल के विकीर्णन प्रभावों के कारण पिछले दो वर्षों में लाभप्रदता में गिरावट आई। यूसीबी क्षेत्र में जिन उभरते मुद्दों पर ध्यान दिये जाने की जरूरत है उनमें से कुछ नकारात्मक ब्याजेतर मार्जिन, अनर्जक कर्ज का उच्च स्तर हानि उठाने वाले बैंकों, नकारात्मक सीआरएआर वाले बैंकों की मौजूदगी तथा बैंकिंग कारोबार का विषम संकेंद्रण है।

5.82 ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के वित्तीय कार्य-निष्पादन में पिछले साल की तुलना में मार्च 2009 के अंत में समग्र सुधार आया। तथापि, उस अवधि के दौरान आस्ति की गुणवत्ता में गिरावट आई। इन संस्थाओं की वित्तीय सुदृढ़ता में सुधार लाना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इन संस्थाओं के, विशेष रूप से पीएसीएस के, वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग वित्तीय समावेशन के संवर्धन के लिए किया जा सकता है। इस संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों में पीएसीएस असंतुलित भौगोलिक विस्तार तथा बैंकिंग कारोबार के असंतुलित वितरण का समाधान करना जरूरी है। साथ ही, संसाधनों के विशाखीकरण एवं वित्तीय समावेशन दोनों की दृष्टि से दीर्घावधि सहकारी कर्ज संस्थाओं द्वारा जमा संग्रहण में सुधार लाने की भी तत्काल आवश्यकता है। आरआइडीएफ से उधार के संवितरण तथा सहकारी संस्थाओं द्वारा जारी किए गए केसीसी की संख्या में गिरावट की प्रवृत्ति एक चिंता का विषय है जिसकी ओर तत्काल ध्यान देना जरूरी है।